

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा (परिशिष्ट 1.1 भाग-क) में रखे जाते हैं। झारखण्ड राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्ति एवं व्यय, राजस्व के साथ-साथ पूँजीगत को प्रस्तुत करने वाले, झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे उन्नीस विवरणियों में प्रदर्शित किये गये हैं। वित्त लेखे का चित्रण **परिशिष्ट 1.1- भाग - ख** में दर्शाया गया है।

1.1.1 प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

तालिका 1.1 वर्ष 2006-07 हेतु झारखण्ड के वित्त को सारांशीकृत करता है जो कि वर्ष के दौरान की गयी राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक लेखा प्राप्तियाँ/संवितरण को आवृत करता है जैसा कि वित्त लेखे की विवरणी 1 तथा अन्य विस्तृत विवरणियों में उद्धृत है।

तालिका 1.1 वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियाँ एवं संवितरण का सारांश (करोड़ रुपये में)

2005-06	प्राप्तियाँ	2006-07	2005-06	संवितरण	2006-07		
अनुभाग क: राजस्व							
					गैर योजना	योजना	कुल
8463.88	1. राजस्व प्राप्तियाँ	10009.82	8490.82	1. राजस्व व्यय	6632.26	2431.68	9063.94
2758.04	कर राजस्व	3188.50	3577.43	सामान्य सेवार्ये	3453.66	356.32	3809.98
1426.53	कर-भिन्न राजस्व	1250.40	3060.30	सामाजिक सेवार्ये	2242.21	1085.06	3327.27
3175.89	संघीय कर एवं शुल्क का हिस्सा	4050.90	1853.08	आर्थिक सेवार्ये	934.34	990.30	1924.64
1103.42	भारत सरकार से अनुदान	1520.02	0.01	सहायता अनुदान एवं अंशदान	2.05	-	2.05
अनुभाग ख: पूँजीगत							
-	2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		1839.03	1. पूँजीगत परिव्यय	0.02	1461.32	1461.34
9.81	3.. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15.75	3746.84	2. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	291.90	118.91	410.81
3500.62	4. लोक ऋणप्राप्तियाँ	1865.99	281.08	3. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	-	-	606.34
-	5. आकस्मिकता निधि में स्थानांतरण		-	4. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	31.75
3908.13	6. लोक लेखा प्राप्तियाँ	4292.80	2463.70	5. लोक लेखा संवितरण	-	-	3551.92
884.41	आरंभिक रोकड़ शेष	(-)54.62	(-)54.62	रोकड़ अंतशेष	-	-	1003.64
16766.85	कुल	16129.74	16766.85	कुल			16129.74

* अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर।

- वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 1546 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत) बढ़ गयी जो कर राजस्व में 431 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत), संघीय कर एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा में 875 करोड़ रुपये (28 प्रतिशत) और सहायता अनुदान में 417 करोड़ रुपये (28 प्रतिशत) बढ़ने के कारण एवं कर भिन्न प्राप्तियों में 177 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) के ह्रास से विचलित थी।
- राजस्व व्यय 573 करोड़ रुपये (सात प्रतिशत) से बढ़ गया जिसमें सामाजिक सेवाओं (267 करोड़ रुपये), सामान्य सेवाओं (233 करोड़ रुपये) एवं आर्थिक सेवाओं (72 करोड़ रुपये) पर व्यय में वृद्धि का अंशदान था।
- पूँजीगत परिव्यय पिछले वर्ष से 378 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) से घट गया।
- लोक ऋण प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 1635 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) घट गयी जो मुख्यतः राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) (378 करोड़ रुपये) और क्षतिपूर्ति एवं अन्य वॉण्ड (1216 करोड़ रुपये) से उधार में ह्रास के कारण थी। तथापि, लोक ऋण भुगतान में पिछले वर्ष से 325 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्ति 385 करोड़ रुपये से बढ़ गयी जबकि संवितरण पिछले वर्ष से 1088 करोड़ रुपये से घट गया।
- आकस्मिकता निधि से निकाले गये अग्रिम में से 32 करोड़ रुपये का व्यय वित्तीय वर्ष के अंत तक बिना समायोजन के रह गया जिसके फलस्वरूप कुल संवितरण उस सीमा तक कम दिखाया गया।
- 2006-07 की समाप्ति पर राज्य का रोकड़ शेष उपरोक्त वर्णित निधियों के अंतर्गमन/बहिर्गमन के कारण पिछले वर्ष से 1058 करोड़ रुपये बढ़ गया।

1.1.2 मुख्य संकेतकों द्वारा राज्य की राजकोषीय स्थिति

राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान जैसा कि मुख्य राजकोषीय संकेतकों से प्रदर्शित हुआ तालिका 1.2 में दी गयी है:

तालिका 1.2

(करोड़ रुपये में)

2005-06	क्र.सं.	मुख्य समुच्चय	2006-07
8464	1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	10010
2758	2	कर राजस्व	3189
1427	3	कर-भिन्न राजस्व	1250
3176	4	केन्द्रीय कर स्थानांतरण	4051
1103		सहायता अनुदान	1520
10	5	गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ	16
10	6	उन पर ऋण की वसूली	16
8474	7	कुल गैर ऋण प्राप्तियाँ (1+ 5)	10026
9014	8	गैर योजना व्यय (9+ 11+12)	6924
6352	9	राजस्व लेखा पर	6632
1420	10	उन पर ब्याज का भुगतान	1613
2	11	पूँजीगत लेखा पर	-
2660	12	उन पर संवितरित ऋण	292

5063	13	योजना व्यय (14+15+16)	4012
2139	14	राजस्व लेखा पर	2432
1837	15	पूँजीगत लेखा पर	1461
1087	16	संवितरित ऋण पर	119
14077	17	कुल व्यय (8+ 13)	10936
(-) 5603	18	राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य (+)(1+5-17)	(-) 910
(-) 27	19	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-9-14)	(+) 946
(-) 4183	20	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)(10-18)	(+) 703

तालिका 1.2 पिछले वर्ष से 2006-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय में क्रमशः 1546 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत) एवं 573 करोड़ रुपये (सात प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करती है जिसके कारण 2005-06 में 27 करोड़ रुपये के घाटे से 2006-07 के दौरान 946 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य हुआ। तथापि, राजकोषीय घाटा 2005-06 में 5603 करोड़ रुपये से 2006-07 में 910 करोड़ रुपये का 84 प्रतिशत से तेजी घटा जो फलतः 2005-06 में 3747 करोड़ रुपये से 2006-07 में 411 करोड़ रुपये 89 प्रतिशत ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में और पूँजीगत परिव्यय 2005-06 में 1839 करोड़ रुपये से 2006-07 में 1461 करोड़ रुपये 21 प्रतिशत घटाव के कारण हुआ। राज्य वित्त पिछले वर्ष की प्रवृत्ति से विपर्यय सूचित करता है जैसा कि 2005-06 में 4183 करोड़ रुपये के प्राथमिक घाटा और 27 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा के विरुद्ध चालू वर्ष के दौरान क्रमशः 703 करोड़ रुपये का प्राथमिक आधिक्य और 946 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य था।

1.2 राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनायी गयी पद्धति

प्राप्ति एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समुच्चय में प्रवृत्तियों जैसा कि वित्त लेखे की विवरणी से प्रदर्शित होती है जहाँ भी आवश्यकता हुई है, 2001-02 से 2006-07 की अवधि के लिए विश्लेषित की गयी है और उनके व्यवहार पर टिप्पणियाँ की गयी हैं। राज्य वित्त की पुनः संरचना योजना में, बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) ने कुछ राजकोषीय समुच्चयों के लिए मापदण्ड/उच्च मूल्य अनुशंसित किया और अन्य के लिए नियामक प्रक्षेप भी बनाया। इसके अतिरिक्त बा.वि.आ. ने यह भी अनुशंसित किया कि सभी राज्यों के लिए राजकोषीय दायित्व (एफ.आर.) का नियमन आवश्यक है और पाँच वर्षों की अवधि (2005-06 से 2009-10) के लिए उसी के अनुसार अपना राजकोषीय संशुद्धि पथ बनावे ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में उन्नति हो सके जैसा कि मध्यम एवं लम्बी अवधि के दौरान अपने संबंधित एफ.आर. अधिनियमों/नियमों के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा एफ.आर.बी.एम अधिनियम अप्रैल 2007 में विनियमित हुआ और अधिसूचना मई 2007 में निर्गत हुई। यह मानते हुए कि जी.एस.डी.पी. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय द्वारा वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता की तरह दिखायी गयी है। जी.एस.डी.पी. द्वारा दिखाये गये आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय के लिए प्राचल गुणांक भी यह निर्धारित करने के लिए निकाला गया है कि क्या संसाधनों का संघटन, व्यय प्रतिमान आदि आधार में

परिवर्तन के साथ तीव्रता बनाये हुए है या ये राजकोषीय समुच्चय, जी.एस.डी.पी. के अलावे अन्य घटकों से प्रभावित भी हुए है।

1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

प्राक्कलन	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
जी.एस.डी.पी. (करोड़ रुपये में)	35030	38187	42494	56871	62950	69752
जी.एस.डी.पी. (वृद्धि दर प्रतिशत में)	9.15	9.01	11.27	33.83	10.69	10.80

स्रोत: सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, झारखण्ड सरकार

इस उद्देश्य के लिए सूचक राजकोषीय समुच्चय को चार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत रखा गया है। (1) समुच्चय प्राप्तियों की बनावट एवं प्रवृत्तियाँ, (2) साधनों को लागू करना, (3) परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व, और (4) घाटे का प्रबंधन (परिशिष्ट 1.2 से 1.5)। लेखापरीक्षा टिप्पणियों में साधन संघटन प्रयासों के संचयी प्रभाव, ऋण सेवा और सुधारात्मक राजकोषीय उपायों को भी लिया जाता है। एक निकाय समष्टि की तरह राज्य सरकार के समग्र वित्तीय निष्पादन को, अनुपातों के समूह के लागू होने, जो सामान्यतः राजकोषीय समुच्चय के संबंधात्मक व्याख्या के लिए लिया जाता है, दिखाया गया है। कुछ चयनित नामों की परिभाषाएँ जिसका व्यवहार प्रकृतियों और राजकोषीय समुच्चय के प्रतिमान के निर्धारण में किया गया है। परिशिष्ट 1.1 भाग ग में दिये गये हैं।

1.3 समुच्चय प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं संरचना

राज्य सरकार की समुच्चय प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान समाहित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से आय, ऋण एवं प्राप्तियों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्ति एवं लोक लेखा सम्पूर्ति के साथ-साथ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम समाविष्ट हैं।

तालिका 1.4 राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों 2006-07 के लिए 16185 करोड़ रुपये दर्शाती हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियों से 10010 करोड़ रुपये (62 प्रतिशत) और शेष (38 प्रतिशत) लोक लेखा एवं उधार से आया।

तालिका 1.4 समुच्चय प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियाँ (करोड़ रुपये में)

राज्य की प्राप्तियों की स्रोत	2001-02	2002-03	2003-04	004-05	2005-06	2006-07
I राजस्व प्राप्तियाँ	4495	4937	5638	6661	8464	10010
II. पूँजीगत प्राप्तियाँ	1587	1892	2426	3578	3511	1882
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	2	3	4	8	10	16
लोक ऋण प्राप्तियाँ	1585	1889	2422	3570	3501	1866
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-
III आकस्मिकता निधि	-	-	-	-	-	-
IV लोक लेखा प्राप्तियाँ	1940	3049	3113	2927	3908	4293
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	170	411	368	255	409	453
ख. आरक्षित निधि	58	62	155	156	161	157
ग. जमा एवं अग्रिम	1038	1215	1185	1136	1328	1579

घ. उच्च एवं विविध	-136	106	106	-58	90	143
ड. प्रेषण	810	1255	1299	1438	1920	1961
कुल प्राप्तियाँ	8022	9878	11177	13166	15883	16185

कुल प्राप्ति में राज्य की राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 2001-02 के 56 प्रतिशत से 2002-03 में 50 प्रतिशत तक घट गया परंतु फिर 2006-07 में नियमित रूप से 62 प्रतिशत तक बढ़ गया। दूसरी तरफ लोक ऋण प्राप्ति के साथ पूँजीगत प्राप्ति 2001-07 के दौरान कुल प्राप्ति के 38 से 50 प्रतिशत के बीच रही। राजस्व प्राप्ति नियमित रूप से 2001-02 में 4495 करोड़ रुपये से 2006-07 में 10010 करोड़ रुपये 123 प्रतिशत बढ़ गयी जबकि ऋण पूँजीगत प्राप्ति जो भावी पुनर्भुगतान दायित्व को सृजित करती है 2001-02 में 1585 करोड़ रुपये (कुल प्राप्ति का 20 प्रतिशत) से 2004-05 में 3570 करोड़ रुपये (27 प्रतिशत) तक बढ़ गई लेकिन 2006-07 में 1866 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) तक कम हो गई। लोक लेखा प्राप्ति अंतर वर्षीय अस्थिरता के साथ 2001-02 में 1940 करोड़ रुपये से 2006-07 में 4293 करोड़ रुपये बढ़ गयी जो 2001-07 के दौरान कुल प्राप्ति के 22 और 31 प्रतिशत के बीच था। कुल प्राप्ति की तुलना में ऋण एवं अग्रिम की वसूली नगण्य थी।

1.3.1 राजस्व प्राप्ति

वित्तलेखे की विवरणी-II सरकार की राजस्व प्राप्ति का ब्योरा देती है। राजस्व प्राप्ति में इसके स्वयं के कर और कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर स्थानांतरण एवं भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता एवं अनुदान है। समस्त राजस्व प्राप्ति उनकी वार्षिक वृद्धि दर, जी.एस.डी.पी. से इन प्राप्ति का अनुपात तथा उनकी उत्प्लावकता तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: राजस्व प्राप्ति-मूल प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व प्राप्ति (करोड़ रुपये में)	4495	4937	5638	6661	8464	10010
स्वयं के कर (करोड़ रुपये में)	1586(35.3)	1750(35.4)	1986(35.2)	2383(35.8)	2758(32.5)	3189(31.8)
कर भिन्न राजस्व (करोड़ रुपये में)	852 (18.9)	987(20.0)	1106(19.6)	1053(15.8)	1427(16.9)	1250(12.5)
केन्द्रीय कर स्थानांतरण (करोड़ रुपये में)	1603(35.7)	1703(34.5)	1980(35.1)	2366(35.5)	3176(37.5)	4051(40.5)
सहायता अनुदान (करोड़ रुपये में)	454(10.1)	497(10.1)	566(10.1)	859 (12.9)	1103(13.1)	1520(15.2)
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	*	9.8	14.2	18.1	27.1	18.3
स्वयं के कर की वृद्धि की दर	*	10.3	13.5	20.0	15.7	15.6
जी.एस.डी.पी. वृद्धि (प्रतिशत)	--	** 9.8	**11.3	**33.8	**10.7	10.8
राजस्व प्राप्ति/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	12.8	**12.9	**13.3	**11.7	**13.4	14.4
राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात)	--	**1.09	**1.26	**0.54	**2.53	1.69
राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता (प्रतिशत में)		1.14	1.19	0.59	1.47	1.44
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (अनुपात में)	-	0.95	1.05	0.91	1.73	1.17


* झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्बर 2000 को हुआ। इस लिए 2001-02 के लिए वृद्धि की दर का निर्धारण नहीं हुआ।

** राज्य घरेलू उत्पाद में पुनरीक्षण के कारण वृद्धि दर का निर्धारण राज्य द्वारा आपूर्ति नये जी.एस.डी.पी. आँकड़े के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी- कोषक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

सामान्य प्रकृति: राजस्व प्राप्ति 2001-02 में 4495 करोड़ रुपये से 2006-07 में 10010 करोड़ रुपये 123 प्रतिशत नियमित रूप से बढ़ी। वर्ष 2006-07 में औसत रूप में राजस्व का लगभग 44 प्रतिशत, राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त हुआ जबकि उसमें केन्द्रीय कर स्थानांतरण एवं सहायता अनुदान का 56 प्रतिशत का अंशदान था। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2005-06 में 8464 करोड़ रुपये से 2006-07 में 10010 करोड़ रुपये तक बढ़ी। यह पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत, कर राजस्व में 430 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) केन्द्रीय कर स्थानांतरण में 875 करोड़ रुपये (28 प्रतिशत) और सहायता अनुदान में 417 करोड़ रुपये (38 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी के कारण बढ़ी, कर भिन्न राजस्व में 176 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) में घटाव के कारण विचलित हुई। राजस्व उत्प्लावकता और राज्य का स्वयं के कर उत्प्लावकता दोनों 2005-06 में 2.53 और 1.47 से 2006-07 में क्रमशः 1.69 और 1.44 घट गयी। राज्य के स्वयं के संसाधन से कुल राजस्व का अनुपात नियमित रूप से 2002-03 में 55 प्रतिशत से 2006-07 में 44 प्रतिशत तक घट गयी।

2006-07 के लिए राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में साक्षेप अंश)



कर राजस्व: कर राजस्व से कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2001-07 के दौरान 31.8 एवं 35.8 प्रतिशत के मध्य थी। तथापि, कुल राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता वर्ष 2005-06 में 32.5 से 2006-07 में 31.8 प्रतिशत तक घट गयी। यद्यपि कर राजस्व पिछले वर्ष से 16 प्रतिशत बढ़ गया, 2006-07 के दौरान 3189 करोड़ रुपये का वास्तविक संग्रहण 200 करोड़ रुपये से कम था यदि इसकी तुलना 2006-07 के लिए राज्य के बा.वि.आ. द्वारा किये गये स्वयं के कर राजस्व के नियामक निर्धारण से की जाय। वर्ष 2006-07 में कुल कर राजस्व में कर राजस्व का 80 प्रतिशत बिक्रीकर और वाहनों पर कर (सात प्रतिशत) का अंशदान था। 2006-07 के दौरान कर राजस्व में पिछले वर्ष से वृद्धि मुख्यतः बिक्री कर (345 करोड़ रुपये), वाहनों पर कर (80 करोड़ रुपये) मुद्रांक एवं निबंधन फीस (30 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण हुई। नीचे की तालिका 1.6, 2001-07 के दौरान कर राजस्व की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.6: कर राजस्व

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
भू-राजस्व	10	15	17	17	18	36
मुद्रांक एवं निबंधन	64	83	82	87	92	122
राज्य उत्पाद	100	99	96	146	162	130
बिक्री कर	1239	1366	1601	1882	2212	2557
वाहनों पर कर	86	105	99	103	138	218

अन्य कर*	87	83	91	121	136	126
कुल	1586	1750	1986	2383	2758	3189

* अन्य करों में माल एवं यात्रियों पर कर विद्युत इत्यादि पर कर एवं शुल्क सम्मिलित है।

जैसा कि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है, भू-राजस्व में वृद्धि मुख्यतः भूमि के अधिक अधिग्रहण, खास महल भूमि की अधिक बन्दोबस्ती और सरकारी भूमि का स्थानांतरण/पट्टा बन्दोबस्ती के कारण हुई। मुद्रांक एवं निबंधन और वाहनों पर कर के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि के कारण सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। तथापि, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया गया कि वाहनों पर कर में वृद्धि मुख्यतः गैर वाणिज्यिक वाहनों के अधिक निबंधन और परिचालन अनुज्ञप्तियों के निर्गमन में स्मार्ट कार्ड का व्यवहार एवं निबंधन प्रमाणपत्रों के कारण हुई। बिक्री कर में वृद्धि का कारण अच्छे कर प्रशासन और आयरन एवं स्टील क्षेत्र में अच्छी वृद्धि का होना बताया गया। राज्य उत्पाद प्राप्ति में ह्रास का कारण विभाग द्वारा समूह I द्वारा दुकानों की अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पित करना (देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब) तथा फरवरी एवं मार्च 2007 के दौरान उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं होना बताया गया।

कर भिन्न राजस्व: कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता में 2001-07 के दौरान 12.5 और 20 के मध्य घटता बढ़ता रहा। यह, तथापि, 2006-07 में पिछले वर्ष से 12 प्रतिशत तक घट गया जो मुख्यतः शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (155 करोड़ रुपये), ब्याज प्राप्तियाँ (33 करोड़ रुपये) और वन एवं वन्यजीव (37 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत प्राप्ति के घटने के कारण हुआ। शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्व का ह्रास मुख्यतः क्रीड़ा एवं युवा सेवा (150 करोड़ रुपये) में तीव्र घटाव और तकनीकी शिक्षा (9 करोड़ रुपये) जो सामान्य शिक्षा के अंतर्गत बढ़ने से अंशतः विचलित हुआ। कर भिन्न राजस्व स्रोतों में, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग मुख्य अंशदाता (82 प्रतिशत) थे, उसके बाद ब्याज प्राप्तियों (तीन प्रतिशत) का स्थान था। ब्याज, डिविडेन्ड आदि के और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति 62 करोड़ रुपये और 1287 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध क्रमशः 38 करोड़ रुपये और 1115 करोड़ रुपये थी।

इसके स्वयं के संसाधनों के संघटन की तुलना में इसके बजट प्राक्कलनों से संबंधित राज्य के निष्पादन और वर्ष के लिए बा.वि.आ. द्वारा बनाये गये नियामक निर्धारण नीचे दर्शाये गये हैं:

राज्य के स्वयं के संसाधन की तुलना में बजट प्राक्कलन और बा.वि.आ. द्वारा किया गया निर्धारण

(करोड़ रुपये में)

	बा.वि.आ. द्वारा किया गया निर्धारण	बजट प्राक्कलन	वास्तविक
	(1)	(2)	(3)
कर राजस्व	3389	3128	3189
कर भिन्न राजस्व	1412	1434	1250

कर राजस्व के बजट प्राक्कलन और वास्तविक संग्रहण की तुलना यदि 3389 करोड़ रुपये के नियामक निर्धारण से की जाय तो यह क्रमशः 261 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये कम था। कर भिन्न राजस्व के संबंध में, बजट प्राक्कलन बा.वि.आ. द्वारा 1412 करोड़ रुपये के नियामक निर्धारण के विरुद्ध 1434 करोड़ रुपये था परन्तु

वास्तविक संग्रहण और बजट प्राक्कलन बा.वि.आ. के मानदण्डों की तुलना में क्रमशः 162 करोड़ रुपये और 189 करोड़ रुपये कम था।

केन्द्रीय कर स्थानांतरण: केन्द्रीय कर स्थानांतरण 2005-06 में 3176 करोड़ रुपये से 2006-07 में 4051 करोड़ रुपये की वृद्धि 875 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी और वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति का 40.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (387 करोड़ रुपये), निगम कर के अलावे अन्य आय पर कर (150 करोड़ रुपये), आबकारी शुल्क (171 करोड़ रुपये) एवं सेवा कर (154 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण हुई।

सहायता अनुदान: सहायता अनुदान 2005-06 में 1103 करोड़ रुपये से 2006-07 में 1520 करोड़ रुपये होकर 38 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीम (220 करोड़ रुपये) के लिए अनुदान और गैर योजना अनुदान (148 करोड़ रुपये) तथा राज्य योजना अनुदान (42 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण हुई। गैर योजना अनुदान में वृद्धि मुख्यतः संविधान की धारा 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान की प्राप्ति (173.61 करोड़ रुपये) के कारण हुई। केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान बढ़ने का कारण प्रारम्भिक शिक्षा (58 करोड़ रुपये) और समाज कल्याण (160 करोड़ रुपये) के अंतर्गत अनुदान में वृद्धि था। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए क्रमशः 59.03 करोड़ रुपये और 32.00 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान भी वर्ष के दौरान राज्य को स्थानान्तरित हुए कुल सहायता अनुदान में सम्मिलित कर लिया गया है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का ब्यौरा तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7 भा.स. से सहायता अनुदान

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	106	246	314	555	719	761
गैर योजनागत अनुदान	96	42	90	86	112	260
केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	252	209	162	218	272	499
कुल	454	497	566	859	1103	1520
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	35	9	14	52	28	38

भा.स. से योजना अनुदान की क्षति: लेखापरीक्षा में संवीक्षा से पता चला कि झारखण्ड सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार झारखण्ड राज्य बिद्युत बोर्ड द्वारा केन्द्रीय लोक उपक्रमों को समय से बकाये के भुगतान में असफलता के कारण, राज्य को 2001-07 के दौरान सामान्य केन्द्रीय सहायता के अनुदान घटक के रूप में राज्य योजना के अंतर्गत 934.45 करोड़ रुपये की राशि की हानि हुई।

राजस्व बकाये: 31 मार्च 2006 को 1671.73 करोड़ रुपये के कुल राजस्व बकाये के विरुद्ध 31 मार्च 2007 को राजस्व का बकाया 1655.94 करोड़ रुपये (अनुपलब्धता के कारण जल संसाधन विभाग के आँकड़े को छोड़कर) था। बकाया राजस्व 2005-06 के अंत में 40 प्रतिशत के विरुद्ध स्वयं के संसाधन से 31 मार्च 2007 को 37 प्रतिशत था। राजस्व बकाये का मुख्य भाग वित्त (वाणिज्यकर) विभाग, खनन एवं भूगर्भ विभाग तथा परिवहन विभाग से संबधित है। वर्ष 2006-07 के अंत में, इन विभागों में बकाये क्रमशः

1256.80 करोड़ रुपये, 229.92 करोड़ रुपये और 128.61 करोड़ रुपये था। इन विभागों के कुल बकाये में से 31 मार्च 2007 को क्रमशः 383.59 करोड़ रुपये 175.72 करोड़ रुपये और 4.96 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था जिसमें से 422.29 करोड़ रुपये और 642.36 करोड़ रुपये क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा स्थगित कर दिये गये।

1.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.4.1 व्यय की वृद्धि

वित्त लेखे की विवरणी 12, लघु शीर्षों द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय दर्शाता है। राज्य संसाधनों का प्रयोग अपने राजकीय क्रिया-कलापों, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की वर्तमान स्थिति के संधारण, पूँजीगत व्यय और निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं का विस्तार और ऋण सेवा दायित्वों के निर्वहन हेतु करता है। राज्य का कुल व्यय 2001-02 में 5862 करोड़ रुपये से 2005-06 में 14077 करोड़ रुपये तक बढ़ गया परंतु 2006-07 में 10936 करोड़ रुपये (27 प्रतिशत) घट गया। कुल व्यय, इसकी वार्षिक वृद्धि दर और राज्य जी.एस.डी.पी. के व्यय से अनुपात और राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 1.8 में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.8: कुल व्यय-मूल प्राचल


	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कुल व्यय** (करोड़ रुपये)	5862	6660	6516	8886	14077	10936
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	*	13.6	(-) 2.2	36.4	58.4	(-)22.3
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	16.7	17.4	15.3	15.6	22.4	15.7
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय (प्रतिशत)	76.7	74.1	86.5	75.0	60.1	91.5
कुल व्यय की उत्प्लावकता के संदर्भ में						
जी.एस.डी.पी. (अनुपात)	--	1.51	(-) 0.19	1.08	5.46	(-)2.06
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	--	1.38	(-) 0.15	2.01	2.15	(-)1.22

* झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्बर 2000 को हुआ इसलिए 2001-02 के लिए वृद्धि की दर निर्धारित नहीं की गयी।

** कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

वर्ष 2006-07 के दौरान कुल व्यय 2005-06 में 58 प्रतिशत की वृद्धि के विरुद्ध पिछले वर्ष से 3141 करोड़ रुपये (22 प्रतिशत) तक घट गया। यह हास पूँजीगत व्यय में 378 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिम के संवितरण 3336 करोड़ रुपये (89 प्रतिशत) में घटाव, 573 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय में वृद्धि के बावजूद हुआ। पूँजीगत व्यय में हास मुख्यतः वृहत एवं मध्यम सिंचाई (125 करोड़ रुपये), पथ एवं पुल (111 करोड़ रुपये), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (93 करोड़ रुपये) और जलापूर्ति एवं स्वच्छता (42 करोड़ रुपये) पर पूँजीगत परिव्यय में घटाव के कारण हुआ। वर्ष 2006-07 के दौरान पिछले वर्ष से ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 89 प्रतिशत की तेजी से कमी का कारण मुख्यतः विद्युत शक्ति परियोजना के लिए ऋण के संवितरण यानि 2005-06 में 3651.12 करोड़ रुपये से 2006-07 में 334.45 करोड़ रुपये में घटाव था। राज्य के योजना व्यय 2005-06 में 5063 करोड़ रुपये से 2006-07 में 4012 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) तक घटने का कारण 968 करोड़ रुपये कम का ऋण एवं अग्रिम का संवितरण और जैसा कि उपर उल्लेख किया गया पूँजीगत लेखा में कम व्यय का होना था। गैर योजनागत व्यय में हास 2005-06 में 9014 करोड़ रुपये से

2006-07 में 6924 करोड़ रुपये (23 प्रतिशत) का कारण 2368 करोड़ रुपये के ऋण एवं अग्रिम का कम संवितरण था।



वर्ष 2006-07 में कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात दर्शाता है कि शेष उधार से देने के लिए छोड़ते हुए, राज्य के कुल व्यय का 91.5 प्रतिशत इसके वर्तमान राजस्व से पूरा हुआ। जी.एस.डी.पी. और राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में कुल व्यय की उत्प्लावकता का 2005-06 में क्रमशः 5.46 और 2.15 के विरुद्ध 2006-07 में ऋणात्मक होना राजस्व का राज्य की आय में वृद्धि के साथ अनुरूपता में राशि व्यय करने में विफलता को दर्शाता है। बजट प्रावधान के उपयोग नहीं होने के फलस्वरूप पूँजीगत लेखा और राजस्व के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भारी बचत ऋणात्मक उत्प्लावकता का अन्य कारण था।

कार्यकलापों द्वारा कुल व्यय में प्रवृत्तियाँ: कार्यकलापों के संदर्भ में कुल व्यय ब्याज भुगतान, सामाजिक और आर्थिक सेवायें, सहायता अनुदान और ऋण अग्रिम सहित सामान्य सेवा पर व्यय के संघटक से किया जा सकता है। कुल व्यय में इन संघटकों का सापेक्ष अंश तालिका 1.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: व्यय के संघटक: सापेक्ष अंश


(प्रतिशत में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सामान्य सेवायें	31.5	41.8	40.5	33.3	26.0	35.5
जिसपर ब्याज भुगतान	9.7	21.3	18.1	12.8	10.1	14.7
सामाजिक सेवायें	34.5	31.5	30.6	31.0	25.6	34.9
आर्थिक सेवायें	28.4	22.4	26.8	29.2	21.8	25.8
सहायता अनुदान	*	*	*	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम	5.6	4.3	2.1	6.5	26.6	3.8

* सहायता अनुदान का प्रतिशत 0.01 होने के कारण नहीं सम्मिलित हुआ।

व्यय के इन संघटकों के सापेक्ष अंशों की गति ने दर्शाया कि सामान्य सेवा का अंश (ब्याज सहित) जो गैर विकासशील है, कुल व्यय में 2002-03 में 41.8 प्रतिशत से 2005-06 में 26 प्रतिशत की घटाव प्रवृत्ति दर्शाती है परंतु 2006-07 में 35.5 प्रतिशत बढ़ गयी, जिसमें ब्याज भुगतान भी 2002-03 में 21.3 प्रतिशत से 2005-06 में 10.1

प्रतिशत घट गया परंतु फिर 2006-07 में 14.7 प्रतिशत से बढ़ गया। सामाजिक सेवा का सापेक्ष अंश 2001-02 में 34.5 प्रतिशत से 2006-07 में 34.9 प्रतिशत तक विचलित हुआ जबकि आर्थिक सेवा का अंश 2001-07 के दौरान 21.8 और 29.2 प्रतिशत के मध्य रहा। ऋण एवं अग्रिम का अंश 2001-02 में 5.6 प्रतिशत से 2003-04 में 2.1 प्रतिशत घटने की प्रवृत्ति दिखाता है परंतु 2005-06 में 26.6 प्रतिशत तेजी से बढ़ना मुख्यतः विद्युत शक्ति के लिए ऋण में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुआ परंतु फिर 2006-07 में 3.8 प्रतिशत तक घट गया।



1.4.1 राजस्व व्यय का विस्तार

राजस्व व्यय का कुल व्यय में अत्यधिक हिस्सा था। राजस्व व्यय सेवा के विद्यमान स्तर को बनाये रखने और पूर्व के दायित्व के भुगतान में किया जाता है और इसलिए इससे राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा विस्तार में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। समस्त राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि की दर, जी.एस.डी.पी. और राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का अनुपात और जी.एस.डी.पी. और राजस्व प्राप्तियों के साथ इसकी उत्प्लावकता तालिका 1.10 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.10: राजस्व व्यय: मूल प्राचल

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजस्व व्यय(आर.ई.)	4800	5509	5406	6976	8491	9064
जिसका गैर योजना राजस्व व्यय एन.पी.आर.ई.	3538	4484	4315	4996	6352	6632
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	(74)	(81)	(80)	(72)	(75)	(73)
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	**	26.7	(-)3.8	15.8	27.1	4.4
एन.पी.आर.ई., पी.आर.ई.,	**	(-)18.8	6.4	81.5	8.0	13.7
एन.पी.आर.ई./ जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	10.1	11.7	10.2	8.8	10.1	9.5
एन.पी.आर.ई., टी.ई. प्रतिशत से	60.4	67.3	66.2	56.2	45.1	60.7
एन.पी.आर.ई., आर.आर. के	78.7	90.8	76.5	75.0	75.0	66.3

प्रतिशत						
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ						
जी.एस.डी.पी. (अनुपात)		1.64	(-)0.17	0.86	2.03	0.62
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	-	1.50	(-)0.13	1.60	0.80	0.37
गैर योजनागत व्यय की उत्प्लावकता के साथ						
जी.एस.डी.पी. (अनुपात)	-	2.97	(-)0.34	0.47	2.53	0.41
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	-	2.72	(-)0.27	0.87	1.0	0.24

** झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्बर 2000 को हुआ था। अतः, 2001-02 के लिए वृद्धि की दर के आँकड़े निर्धारित नहीं किये गये, कोष्ठक में दिये गये आँकड़े आर.ई. के साथ प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजस्व व्यय 2001-02 में 4800 करोड़ रुपये से 2006-07 में 9064 करोड़ रुपये की वृद्धि कर 89 प्रतिशत बढ़ गया। यह सात प्रतिशत वृद्धि की दर के साथ 2005-06 में 8491 करोड़ रुपये से 2006-07 में 9064 करोड़ रुपये बढ़ गया। वेतन (2744 करोड़ रुपये), व्याज भुगतान (1613 करोड़ रुपये) और पेंशन (679 करोड़ रुपये) ही कुल राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत उपभुक्त किया। राजस्व व्यय 2006-07 के दौरान कुल व्यय का 83 प्रतिशत हुआ। कुल व्यय से राजस्व व्यय का अनुपात 2005-06 में 60.3 प्रतिशत से 2006-07 में 82.9 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय का अनुपात 2005-06 में 100.3 प्रतिशत से 2006-07 में 90.5 प्रतिशत तक घट गया।

गैर योजनागत राजस्व व्यय 2001-02 में 3538 करोड़ रुपये से 2006-07 में 6632 करोड़ रुपये 87 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसकी वृद्धि दर, तथापि, पिछले वर्ष से 2005-06 में 27.1 प्रतिशत से 2006-07 के दौरान 4.4 प्रतिशत तक मुख्य रूप से घट गया। एन.पी.आर.ई. का 2001-07 के दौरान राजस्व व्यय में 72 से 81 प्रतिशत तक विचलित होते हुए प्रमुख हिस्सा रहा। गैर योजनागत राजस्व मद में वर्ष के दौरान वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान (194 करोड़ रुपये), सामान्य शिक्षा (75 करोड़ रुपये) आवास (101 करोड़ रुपये) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (53 करोड़ रुपये) इत्यादि में अधिक व्यय के कारण था, विद्युत शक्ति (153 करोड़ रुपये) और चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (76 करोड़ रुपये) के अंतर्गत कम व्यय से विचलित हुआ। तथापि, कुल व्यय से एन.पी.आर.ई. का अनुपात 2002-03 में 67.3 प्रतिशत से 2005-06 में 45.1 प्रतिशत के गिरने की प्रवृत्ति दिखाता है परंतु फिर 2006-07 में 60.7 प्रतिशत से बढ़ गया, जबकि राजस्व प्राप्ति से इसका अनुपात 2002-03 में 90.8 प्रतिशत से 2006-07 में 66.3 प्रतिशत गिरने की प्रवृत्ति दर्शाता है। जी.एस.डी.पी. से एन.पी.आर.ई. का अनुपात 2001-07 में 8.8 प्रतिशत से 11.7 प्रतिशत तक विचलित होता रहा। जी.एस.डी.पी. से एन.पी.आर.ई. की उत्प्लावकता 2005-06 में 2.53 प्रतिशत से 2006-07 में 0.41 प्रतिशत तक घट गयी, जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में यह 2005-06 में एक प्रतिशत से 2006-07 में 0.24 प्रतिशत तक घट गयी।

बजट प्राक्कलन और वास्तविक एन.पी.आर.ई. की तुलना बा.वि.आ. द्वारा किये गये निर्धारण से नीचे दिये गये हैं:

	बा.वि.आ. द्वारा निर्धारण	बजट प्राक्कलन	वास्तविक एन.पी.आर.ई.
गैर योजनागत राजस्व	5258	6794	6632

व्यय			
------	--	--	--

वर्ष 2006-07 के दौरान वास्तविक गैर योजनागत व्यय 1374 करोड़ रुपये से बढ़ा, यदि बा.वि.आ. द्वारा किये गये नियामक निर्धारण 5258 करोड़ रुपये से की जाय, परंतु यह 6794 करोड़ रुपये के बजट प्राक्कलन के विरुद्ध 162 करोड़ रुपये से कम था।

योजनागत राजस्व व्यय 2005-06 में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर के विरुद्ध 13.7 की वृद्धि दर से पिछले वर्ष से 2006-07 में 293 करोड़ रुपये मुख्यतः सामान्य शिक्षा (86 करोड़ रुपये), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (89 करोड़ रुपये), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (59 करोड़ रुपये) के कारण बढ़ा, तकनीकी शिक्षा (53 करोड़ रुपये) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण (59 करोड़ रुपये) और आवास (18 करोड़ रुपये) में कम व्यय के कारण आंशिक रूप से विचलित हुआ।

1.4.3 प्रतिबद्ध व्यय

1.4.3.1 वेतन पर व्यय

योजनागत एवं गैर योजनागत दोनों शीर्षों के अंतर्गत वेतन पर किये गये व्यय की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.11 में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 1.11 वेतन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वेतन पर व्यय जिसका	1319	1243	1932	2179	2547	2744
गैर योजनागत शीर्ष	1001	1079	1744	1910	2326	2518
योजनागत शीर्ष*	318	164	188	269	221	226
जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत	3.8	3.3	4.5	3.8	4.0	3.9
आर.आर. का प्रतिशत	29.3	25.2	34.3	32.7	30.1	27.4

* योजना शीर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत किया गया वेतन का भुगतान भी सम्मिलित है। वेतन व्यय के आँकड़े वित्त लेखे के परिशिष्ट IV से लिये गये हैं।

वर्ष के दौरान अकेले वेतन ही राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 27 प्रतिशत के लगभग था। यह 2005-06 के 2547 करोड़ रुपये से 2006-07 में 2744 करोड़ रुपये आठ प्रतिशत से बढ़ गया। गैर योजनागत शीर्ष में 2006-07 के दौरान वेतन पर व्यय पिछले वर्ष से 192 करोड़ रुपये (आठ प्रतिशत) बढ़ गया, जबकि योजना शीर्ष में वेतन व्यय पिछले वर्ष से पाँच करोड़ रुपये (दो प्रतिशत) आंशिक रूप से बढ़ा। वर्ष 2006-07 के दौरान वेतन पर कुल व्यय गैर योजनागत वेतन व्यय 76 और 92 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व व्यय की प्रतिशतता में वेतन पर व्यय, ब्याज भुगतान और पेंशन का निवल 40.5 प्रतिशत है जो कि बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत के मानदण्ड से अधिक है।

1.4.3.2 पेंशन भुगतान

तालिका 1.12: पेंशन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पेंशन पर व्यय	515	520	560	620	657	679
जी.एस.डी.पी. का	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0

प्रतिशत						
आर.आर. का प्रतिशत	11.5	10.5	9.9	9.3	7.8	6.8

पेंशन पर व्यय 2001-07 के दौरान बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखता है। यह 2001-02 में 515 करोड़ रुपये से 2006-07 में 679 करोड़ रुपये 32 प्रतिशत से बढ़ गया। जी.एस.डी.पी. और राजस्व प्राप्ति से पेंशन का अनुपात 2001-02 में 1.5 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत से 2006-07 में क्रमशः एक प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है। पेंशनधारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी से भविष्य में पेंशन दायित्वों के बढ़ने की संभावना है। इसलिए राज्य सरकार को पेंशन दायित्वों को सीमित करने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

1.4.3.3 ब्याज भुगतान

बा.वि.आ. ने अनुशंसित किया कि राज्य को राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान के स्तर को कम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि यह 2009-10 तक 15 प्रतिशत तक हो जाय। यद्यपि ब्याज भुगतान पिछले वर्ष से 2006-07 के दौरान 193 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) बढ़ गया, राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता 2005-06 में 17 प्रतिशत से 2006-07 में 16 प्रतिशत तक घट गयी।

तालिका 1.13: ब्याज भुगतान

वर्ष	कुल राजस्व प्राप्ति	कुल राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान की प्रतिशतता के संदर्भ में	
	(करोड़ रुपये में)			राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
2001-02	4495	4800	568	13	12
2002-03	4937	5509	1419	29	26
2003-04	5638	5406	1182	21	22
2004-05	6661	6976	1141	17	16
2005-06	8464	8491	1420	17	17
2006-07	10010	9064	1613	16	18

जैसा कि तालिका 1.13 में दर्शाया गया है, ब्याज भुगतान 2002-03 में 1419 करोड़ रुपये (राजस्व व्यय का 26 प्रतिशत) से 2004-05 में 1141 करोड़ रुपये (16 प्रतिशत) की गिरती हुई प्रवृत्ति ऋण हटाओ योजना के अंतर्गत कम मूल्य उधार से उच्च मूल्य ऋण को करने के कारण दिखती है। बा.वि.आ. ने राज्य के लिए गैर योजनागत राजस्व व्यय के इस अवधि के लिए प्रक्षेपन के समय ब्याज भुगतान की 8.5 प्रतिशत वृद्धि की दर को रखा यदि कुल राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतान का अनुपात 23 प्रतिशत से कम हो। झारखण्ड के मामलों में चूंकि यह अनुपात आधार वर्ष 2004-05 के दौरान 17 प्रतिशत है, ब्याज भुगतान आदर्श रूप में 8.5 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ना चाहिए, तथापि, 2005-06 के दौरान के 24 प्रतिशत के विरुद्ध 2006-07 के दौरान 14 प्रतिशत बढ़ गया था। पिछले वर्ष से 2006-07 में 193 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋण (83 करोड़ रुपये) और केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि में विशेष प्रतिभूती निर्गत करने (98 करोड़ रुपये) पर ब्याज भुगतान की वृद्धि के कारण हुई। राज्य सरकार ने राजकोषीय दायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम का नियमन मई 2007 में किया जिसके फलस्वरूप, राज्य सरकार वर्तमान

वर्ष के 118.27 करोड़ रुपये सहित 2006-07 तक 221.36 करोड़ रुपये की ब्याज दर सहायता और ऋण पुनः अनुसूचीकरण के लाभ का उपयोग नहीं कर सका।

1.5 आबंटित प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

1.5.1 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय की गुणवत्ता दिखाती है। इसलिए कुल व्यय के साथ-साथ जी.एस.डी.पी. और राजस्व व्यय के भाग के पूँजीगत व्यय का अनुपात विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को क्षमता पूर्वक और प्रभावकारी ढंग से चलाने के लिए व्यय की गुणवत्ता का निर्धारण होगा। कुल व्यय और जी.एस.डी.पी. से इन घटकों के अनुपात का अधिक होना व्यय की अच्छी गुणवत्ता है। तालिका 1.14, 2001-07 के दौरान इन अनुपातों को दिखाती है।

तालिका 1.14: व्यय की गुणवत्ता के सूचक

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
पूँजीगत व्यय	733	866	976	1333	1839	1461
राजस्व व्यय	4800	5509	5406	6976	8491	9064
कुल (सी.ई.+ आर.ई.)	5533	6375	6382	8309	10330	10525
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल राजस्व व्यय	2960	2756	2797	4033	4913	5252
जिसका 1.वेतन घटक	902 (31)	903 (33)	1342 (48)	1506(37)	1730	1881(36)
2.गैर वेतन घटक	2058(69)	1853 (67)	1455(52)	2527(63)	(35)	3371(64)
					3183(65)	
कुल व्यय का प्रतिशत(ऋण एवं अग्रिम को छोड़ कर)						
पूँजीगत व्यय	13	14	15	16	18	14
राजस्व व्यय	87	86	85	84	82	86
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत से						
पूँजीगत व्यय	2.1	2.3	2.3	2.3	2.9	2.1
राजस्व व्यय	13.7	14.4	12.7	12.3	13.5	13.0

कोष्ठक के आँकड़े सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में लगे राजस्व व्यय में वेतन और गैर वेतन घटकों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

वर्ष 2002-07 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय, कुल व्यय का 82 से 87 प्रतिशत, के बीच बहुत कम अंतर से विचलित होता रहा एवं पूँजीगत व्यय से अधिक हुआ, जो केवल 13 और 18 प्रतिशत के बीच था। कुल व्यय की प्रतिशतता की तरह, राजस्व व्यय 2001-02 में 87 प्रतिशत से 2005-06 में 82 प्रतिशत गिरती हुई प्रवृत्ति दिखाता है और फिर 2006-07 में 86 प्रतिशत तक बढ़ गया, जबकि पूँजीगत व्यय 2001-02 में 13 प्रतिशत से 2005-06 में 18 प्रतिशत की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाता है परंतु फिर यह 2006-07 में 14 प्रतिशत तक घट गया। जी.एस.डी.पी. से पूँजीगत व्यय का अनुपात 2001-02 में 2.1 प्रतिशत से 2005-06 में 2.9 प्रतिशत तक बढ़ गया परंतु 2006-07 में 2.1 प्रतिशत घट गया जो बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित सात प्रतिशत (सभी राज्यों का औसत) के प्रक्षेपन से काफी नीचे है जो आबंटित प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाता है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2001-07

के दौरान कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय 43 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के मध्य रहा। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर गैर वेतन राजस्व व्यय 2003-04 में 1455 करोड़ रुपये (राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 23 प्रतिशत) से 2006-07 में 3371 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) तक नियमित रूप से बढ़ गया जबकि वेतन घटक 2003-04 में 21 प्रतिशत से 2005-06 में 17 प्रतिशत तक नियमित रूप से घट गया और फिर 2006-07 में 18 प्रतिशत से बढ़ गया।

1.5.2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय

यह तथ्य है कि मानक विकास सूचक यथा बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवार्यें, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं आदि तक पहुँच का आर्थिक उन्नति और गरीबी उन्मूलन के साथ गहरा संबंध है, राज्य में इन सेवाओं के पर्याप्त प्रावधान और विस्तार के साथ निर्धारण विवेकपूर्ण होगा। तालिका 1.15, राज्य में 2001-07 के दौरान सामाजिक सेवाओं को मजबूती प्रदान करने एवं विस्तार में राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय को सारांशित करती है।

तालिका 1.15 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति						
राजस्व व्यय,	1030.5	1084.2	1017.9	1375.0	1628.1	1738.6
जिसका	355.0 (95)	549.0 (98)	751.8 (99)	864.6 (99)	910.7 (99)	949.8 (99.8)
(क) वेतन घटक	675.5	535.2	266.1	510.4	717.4	788.8
(ख) गैर वेतन घटक	4.6	3.3	5.4	34.4	171.3	196.7
पूँजीगत व्यय						
उप योग (आर.ई. + सी.ई.)	1035.1	1087.5	1023.3	1409.4	1799.4	1935.3
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
राजस्व व्यय,	250.3	242.6	221.7	388.8	472.3	395.8
जिसका	163.7 (62)	106.5 (60)	109.2 (76)	200.4 (58)	213.9 (83)	194.0 (94)
(क) वेतन घटक	86.6	136.1	112.5	188.4	258.4	201.8
(ख) गैर वेतन घटक	21.7	2.8	15.8	38.4	59.3	53.0
पूँजीगत व्यय,	7.6	-	-	-	-	-
जिसका वेतन घटक						
उप योग (आर.ई. + सी.ई.)	272.0	245.4	237.5	427.2	531.6	448.8
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास						
राजस्व व्यय,	124.8	118.7	113.1	117.1	166.3	277.1
जिसका	24.1 (100)	16.9 (100)	83.0 (100)	41.3 (100)	45.9 (100)	56.9 (100)
(क) वेतन घटक	100.7	101.8	30.1	75.8	120.4	220.2
(ख) गैर वेतन घटक	90.7	148	100.2	148	254.1	193.9
पूँजीगत व्यय,	2.6	-	-	-	-	-
जिसका वेतन घटक						
उप योग (आर.ई. + सी.ई.)	215.5	266.7	213.3	265.1	420.4	471.0
अन्य सामाजिक सेवार्यें						
राजस्व व्यय,	491.8	489.9	516.1	642.7	793.6	915.8
जिसका	61.3 (38)	54.7 (71)	43.2 (60)	41.0 (85)	145.1 (49)	130.4 (46)
(क) वेतन घटक	430.5	435.2	472.9	601.7	648.5	785.4

(ख) गैर वेतन घटक पूँजीगत व्यय,	5.7	7.8	4.2	5.4	62.4	51.2
उप योग (आर.ई. + सी.ई.)	497.5	497.7	520.3	648.1	856.0	967.0
राजस्व व्यय जिसका (क) वेतन घटक	1897.4 604.1(81)	1935.4 727.1(90)	1868.8 987.2(95)	2523.6 1147.3(92)	3060.3 1315.6(91)	3327.3 1331.1(94)
(ख) गैर वेतन घटक पूँजीगत व्यय	1293.3 122.7	1208.3 161.9	881.6 125.6	1376.3 226.2	1744.7 547.1	1996.2 494.8
जिसका वेतन घटक	10.2	-	-	-	-	-
कुल योग	2020.1(34)	2097.3(32)	1994.4(31)	2749.8(31)	3607.4(26)	3822.1(35)

1. सकल योग के विरुद्ध कोष्ठक में आँकड़े कुल व्यय से सामाजिक सेवा पर व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।
2. वेतन घटक के विरुद्ध कोष्ठक के आँकड़े कुल वेतन में गैर वेतन घटक की प्रतिशतता दर्शाती हैं।

सामाजिक सेवा पर व्यय 2001-02 में 2020 करोड़ रुपये से 2006-07 में 3822 करोड़ रुपये, 89 प्रतिशत बढ़ गया जो 2001-07 में कुल व्यय के 26 एवं 35 प्रतिशत के मध्य रहा और 2006-07 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर कुल व्यय 58 प्रतिशत लेखापित किया गया। सामाजिक सेवा में राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर पिछले वर्ष से 2005-06 में 21 प्रतिशत एवं 142 प्रतिशत से 2006-07 में क्रमशः 9 प्रतिशत और ऋणात्मक 10 प्रतिशत तक घट गया। वर्ष 2001-07 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय, 50 से 52 प्रतिशत तक शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति पर, 12 से 16 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर, और 9 से 13 प्रतिशत जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास और नगर विकास पर हुआ। वर्ष 2001-07 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रकृति से उद्घटित हुआ कि 6 और 15 प्रतिशत के बीच का पूँजीगत व्यय का हिस्सा राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शाता है। सामाजिक सेवाओं में से राजस्व 2003-04 में 53 प्रतिशत तक बढ़ गया परंतु, 2006-07 में नियमित रूप से 40 प्रतिशत घट गया जिससे गैर वेतन घटक पर अधिक व्यय हुआ। सामान्य शिक्षा में गैर योजनागत वेतन घटक की वृद्धि दर पिछले वर्ष से 2005-06 में 5.1 प्रतिशत से 2006-07 में 4.5 प्रतिशत घट गयी यह बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित छः प्रतिशत के मानदण्ड के विरुद्ध था जबकि गैर योजनागत वेतन घटक भी पिछले वर्ष से 2005-06 में 70 प्रतिशत से 2006-07 में 11 प्रतिशत तक घट गया जो बा.वि.आ. द्वारा विहित 30 प्रतिशत के मानदण्ड से काफी कम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्राथमिकता वाले एक अन्य क्षेत्र में पिछले वर्ष से 2006-07 में कुल राजस्व व्यय में गिरावट का कारण, वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन एवं गैर वेतन घटक दोनों में गिरावट देखी गयी यानि वेतन घटक 9 प्रतिशत से घट गया (20 करोड़ रुपये) जबकि गैर वेतन घटक पिछले वर्ष से 2006-07 में 22 प्रतिशत (56 करोड़ रुपये) से घट गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में वेतन एवं गैर वेतन घटक एक साथ लेने पर पिछले वर्ष से 2006-07 में बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित 11.5 प्रतिशत की संयुक्त वृद्धि के विरुद्ध 21 प्रतिशत तक घट गया। इस क्षेत्र में पूँजीगत व्यय भी पिछले वर्ष से 2006-07 में 11 प्रतिशत से घट गया। मुख्य सेवा विभागों यानि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं कल्याण विभागों के अभिलेखों की संवीक्षा में तदन्तर उद्घटित हुआ कि आबंटित निधियों की भारी बचत/अभ्यर्पण हुई थी। इन विभागों के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव परिशिष्ट 1.6 में दर्शाये गये हैं। ये प्रवृत्तियाँ आवंटित प्राथमिकताओं विशेषकर शिक्षा और

स्वास्थ्य क्षेत्रों में और इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवंटित निधि का प्रभावी उपयोगिता पर ध्यान देने और बदलाव की आवश्यकता दर्शाती है।

1.5.3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं पर व्यय में सभी व्यय जो राज्य की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद क्षमता वाले होते हैं सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर व्यय (2819 करोड़ रुपये) कुल व्यय का 26 प्रतिशत लेखापित हुआ (तालिका 1.16) जिसमें, कृषि और सहबद्ध क्रिया कलाप, सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण, उर्जा एवं परिवहन विभाग द्वारा व्यय का लगभग 57 प्रतिशत उपभुक्त हुआ।

तालिका 1.16: आर्थिक क्षेत्र पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
कृषि, सहबद्ध क्रियाकलाप						
राजस्व व्यय, जिसके	279.1	283.8	308.7	448.9	446.4	507.4
(क) वेतन घटक	118.0 (86)		185.9 (61)	186.1 (66)	128.5(96)	232.2(61)
(ख) गैर वेतन घटक	161.1	80.2(91)	122.8	262.8	317.9	275.2
पूँजीगत व्यय	-	203.6	0.1	-	7.7	16.7
		0.6				
उप जोड़ (आर.ई.+ सी.ई.)	279.1	284.4	308.8	448.9	454.1	524.1
सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण						
राजस्व व्यय, जिसके	46.3	36.9	44.4	39.1	116.9	162.5
(क) वेतन घटक	16.9 (100)		23.6 (100)	27.3 (100)	98.4 (100)	
(ख) गैर वेतन घटक	29.4	12.7(100)	20.8	11.8	18.5	148.0(100)
पूँजीगत व्यय,	189.9	24.2	314.9	256.9	340.6	14.5
जिससे वेतन घटक	51.0	223.5	25.8	63.0	31.2	205.1
		41.3				1.2
उप जोड़ (आर.ई. + सी.ई.)	236.2	260.4	359.3	296.0	457.5	367.6
विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा						
राजस्व व्यय, जिससे	3.0	101.3	95.6	358.7	441.4	239.5
(क) वेतन घटक	-	-	-	-	-	-
(ख) गैर वेतन घटक	3.0	101.3	95.6	358.7	441.4	239.5
पूँजीगत व्यय,	30.0	39.8	2.0	48.4	30.0	53.0
उप जोड़ (आर.ई. + सी.ई.)	33.0	141.1	97.6	407.1	471.4	292.5
परिवहन						
राजस्व व्यय, जिससे	344.7	60.6	109.0	203.0	173.8	293.4
(क) वेतन घटक	28.0 (96)	13.8	35.2 (97)	31.1 (96)	34.8 (95)	38.6(95)
(ख) गैर वेतन घटक	316.7	(87)	73.8	171.9	139.0	254.8
पूँजीगत व्यय,	106.5	46.8	165.4	241.1	249.4	129.5
जिससे वेतन घटक	12.4	171.7	-	-	-	-
		-				
उप जोड़ (आर.ई. + सी.ई.)	451.2	232.3	274.4	444.1	423.2	422.9
अन्य आर्थिक सेवाये						
राजस्व व्यय, जिससे	389.3	338.3	370.4	459.5	674.6	721.8
(क) वेतन घटक	135.3 (74)	69.7	109.8 (95)	114.3 (91)	152.3 (79)	131.3(95)
(ख) गैर वेतन घटक	254.0	(83)	260.6	345.2	522.3	590.5
पूँजीगत व्यय,	276.0	268.6	334.3	540.9	588.0	489.8
जिससे वेतन घटक	62.6	238.4	23.7	20.4	25.8	26.9
		27.6				

उप जोड़ (आर.ई. + सी.ई.)	665.3	576.7	704.7	1000.4	1262.6	1211.6
कुल (आर्थिक सेवाएँ)						
राजस्व व्यय, जिससे	1062.4	820.9	928.1	1509.2	1853.1	1924.6
(क) वेतन घटक	298.2 (82)	176.4	354.5 (78)	358.8 (79)	414.0 (91)	550.1(82)
(ख) गैर वेतन घटक	764.2	(88)	573.6	1150.4	1439.1	1374.5
पूँजीगत व्यय,	602.4	644.5	816.7	1087.3	1215.7	894.1
जिससे वेतन घटक	126.0	674.0	49.5	83.4	57.0	28.1
		68.9				
सकल जोड़ (आर.ई. + सी.ई.)	1664.8(28)	1494.9(22)	1744.8(27)	2596.5(29)	3068.8 (22)	2818.7(26)

1. वेतन घटक के विरुद्ध कोषक में आँकड़े कुल वेतन में गैर योजनागत वेतन घटक पर व्यय की प्रतिशतता दर्शाता है।
2. सकल जोड़ के विरुद्ध कोषक के आँकड़े कुल व्यय से आर्थिक सेवाओं पर व्यय की प्रतिशतता दर्शाता है।

आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में से 2001-07 के दौरान 15 से 19 प्रतिशत कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों पर, 11 से 21 प्रतिशत सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण, 2 से 16 प्रतिशत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति और 14 से 27 प्रतिशत परिवहन पर लगा था। वेतन घटक 2001-07 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में 15 और 25 प्रतिशत के बीच था। गैर योजनागत वेतन घटक बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित पाँच प्रतिशत की वृद्धि के मानदण्ड के विरुद्ध 2005-06 में 376 करोड़ रुपये से 2006-07 में 452 करोड़ रुपये, 20 प्रतिशत से बढ़ गया।

आर्थिक सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ दर्शाती है कि पूँजीगत व्यय 2001-02 में 602.4 करोड़ रुपये (कुल व्यय का 36 प्रतिशत) से 2005-06 में 1215.7 करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) लगातार बढ़ा, परंतु 2006-07 में तेजी से 894 करोड़ रुपये (32 प्रतिशत) से 26 प्रतिशत तक घट गया। जबकि राजस्व व्यय प्रत्येक वर्ष उतार चढ़ाव के साथ 2001-02 में 1062.4 करोड़ रुपये (64 प्रतिशत) से 2006-07 में 1924.6 करोड़ रुपये (68 प्रतिशत) तक बढ़ गया। पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष से 2006-07 में 322 करोड़ रुपये (26 प्रतिशत) तक घटाव मुख्यतः वृहत और मध्यम सिंचाई (125 करोड़ रुपये), पथ एवं पुल (111 करोड़ रुपये) और अन्य ग्रामीण विकास (93 करोड़ रुपये) पर पूँजीगत परिव्यय में घटने के कारण हुआ, विद्युत शक्ति (23 करोड़ रुपये) में आंशिक बढ़ोत्तरी से विचलित हुआ। राजस्व व्यय का, वेतन घटक 2001-07 के दौरान 21 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के बीच रहा। यह 33 प्रतिशत प्रतिशत की वृद्धि दर से 2005-06 में 414 करोड़ रुपये (22 प्रतिशत) से 2006-07 में 550 करोड़ रुपये (29 प्रतिशत) तक बढ़ा जबकि गैर वेतन घटक 2005-06 में 1439 करोड़ रुपये (78 प्रतिशत) से 2006-07 में 1374 करोड़ रुपये (71 प्रतिशत) पाँच प्रतिशत से घट गया। गैर वेतन घटक वृहत, मध्यम एवं लघु सिंचाई के अंतर्गत बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित 41.11 करोड़ रुपये संधारण व्यय के विरुद्ध 2005-06 के दौरान 17.37 करोड़ रुपये था जो बाद में 43.17 करोड़ रुपये के मानदण्ड के विरुद्ध 2006-07 में 14.31 करोड़ रुपये तक घट गया। पथ एवं पुलों के संबंध में बा.वि.आ. के मानदण्ड 92.05 करोड़ रुपये के विरुद्ध 2005-06 में 73.44 करोड़ रुपये गैर वेतन घटक था जो बाद में 96.55 करोड़ रुपये के मानदण्ड के विरुद्ध 2006-07 में 68.77 करोड़ रुपये तक गिर गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में काफी बचत/अभ्यर्पण लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया। ऊर्जा एवं नगर विकास

विभाग के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव आबंटित निधि की भारी बचत/अभ्यर्पण के कारण हुआ जिसे परिशिष्ट 1.7 में दर्शाया गया है।

1.5.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्वायत्त निकाय और प्राधिकार गैर वाणिज्यिक क्रियाकलाप एवं लोक उपयोगिता सेवा प्रदान करते हैं। निकाय और प्राधिकार सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार अन्य संस्थाओं को भी जो राज्य सहकारिता समिति अधिनियम, कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करते हैं, पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा अनुदान मुख्यतः नगर शैक्षिक संस्थाओं के संधारण, अस्पतालों, दातव्य संस्थाओं, विद्यालयों और अस्पताल भवनों के निर्माण एवं संधारण, नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों के अंतर्गत सड़कों के सुधार और अन्य संचार सुविधाओं के लिए दिया जाता है।

वर्ष 2001-07 के दौरान विभिन्न निकायों को प्रदान की गयी सहायता की मात्रा निम्नलिखित थी:

तालिका 1.17 वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	निकाय/प्राधिकार आदि	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्था	200.94	234.82	219.59	222.41	363.95	419.59
2.	नगर निगम एवं नगर पालिका	39.58	44.20	18.18	48.83	77.28	109.58
3.	जिला परिषद और पंचायती राज संस्थायें	शून्य	7.75	21.29	8.83	93.09	151.27
4.	विकास अभिकरण	10.46	97.01	101.67	639.68	551.39	422.54
5.	अन्य संस्थायें (वैधानिक निकायों सहित)	115.93	75.32	91.43	38.16	69.79	528.20
	कुल	366.91	459.10	452.16	957.91	1155.50	1631.18
	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सहायता	8	9	8	14	14	16
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	8	8	8	14	14	18

राज्य द्वारा दी गयी सहायता 2001-07 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 8 से 16 प्रतिशत और राजस्व व्यय के 8 से 18 प्रतिशत के बीच रही। स्थानीय निकायों को दी गयी वित्तीय सहायता 2001-02 में 366.91 करोड़ रुपये से 2006-07 में 1631.18 करोड़ रुपये यानि 345 प्रतिशत नियमित रूप से बढ़ी। इसके पिछले वर्ष से 2006-07 के दौरान 41 प्रतिशत 476 करोड़ रुपये तेजी से बढ़ने का कारण अन्य संस्थाओं को (458.41 करोड़ रुपये) तेजी से सहायता में वृद्धि, मुख्यतः नागर विमानन विभाग (23.23 करोड़ रुपये), विधान मण्डल (68.05 करोड़ रुपये), योजना एवं विकास विभाग

(255.13 करोड़ रुपये), आपदा प्रबंधन विभाग (21.44 करोड़ रुपये), नगर विकास एवं आवास विभाग (10.37 करोड़ रुपये) और कल्याण विभाग (6.14 करोड़ रुपये) के कारण था। तथापि, यह विकास अभिकरणों (128.85 करोड़ रुपये) को दी गयी सहायता में घटाव से आंशिक विचलित हुआ।

1.5.5 स्थानीय निकायों का भा.स. के अनुदान से वंचन

यह देखा गया कि स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं हुआ और फलतः राज्य सरकार 2006-07 तक 420.62 करोड़ रुपये के अनुदान से वंचित रह गयी (116 करोड़ रुपये 2006-07 से संबधित) जो ग्यारहवें एवं बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इसे मिल जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों का स्थानांतरण घट जाने के कारण इन निकायों को भा.स. से अनुदान की अनुपलब्धता रही जिससे राज्य से स्थानीय क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में विपरीत प्रभाव पड़ा है।

1.5.6 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुति में विलम्ब

वर्ष 2006-07 तक भुगतान किये गये लगभग 4260.06 करोड़ रुपये के अनुदान के 2252 उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) बकाये में से कुल 2876.60 करोड़ रुपये राशि के 1743 उ.प्र. बकाये थे। बकाये उ.प्र. का विभागवार ब्यौरा **परिशिष्ट 1.8** में दिये गये है।

1.5.7 लेखा का प्रस्तुत नहीं किया जाना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सेवा के (कर्तव्य, शक्ति एवं शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत संस्थाओं को चिन्हित करने हेतु सरकार/विभागाध्यक्ष द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दी गयी वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रत्येक वर्ष सहायता अनुदान के उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के साथ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना है। अगस्त 2007 तक सरकार के किसी भी विभाग ने 2006-07 के लिए ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया।

1.5.8 स्थानीय निकायों के निष्पादन का सार

राज्य में केवल दो निकायों के लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा को सुपुर्दगी की स्थिति, लेखापरीक्षा को दिये गये लेखे, विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और विधायिका में इसकी प्रस्तुति **तालिका 1.18** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.18

स्वायत्त निकाय का नाम	तक सौंपी गयी लेखापरीक्षा	लेखा वर्ष	स्वायत्त निकाय के लेखा की प्राप्ति की तिथि	विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की तिथि
बिरसा कृषि	2001-02	2001-02	29.11.2005	11.09.2006	प्रस्तुति से संबंधित

विश्वविद्यालय राँची	से 2005-06	2002-03 2003-04	7.11.2006 20.08.2007	वि.ले.प.प्र. का प्रारूप उत्तर हेतु 05-04-2007 को भेजा गया। पिछले प्रतिवेदन के अभाव में नहीं लिया गया।	कोई सूचना नहीं
राज्य वैधिक सेवा प्राधिकार	2002-03	2002-03	04.11.2006	अंतिम रूप दिया जा रहा	उ.न.

1.6 परिसम्पतियाँ एवं दायित्व

सरकारी लेखाकरण प्रणाली में सरकार द्वारा अधिकृत स्थायी परिसम्पतियों अर्थात्, भूमि, भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा व्यय से सृजित परिसम्पतियों को अभिगृहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.2** 31 मार्च 2007 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पतियों का सार 31 मार्च 2006 की तदनुसूची स्थिति के साथ तुलना करके प्रस्तुत करता है, जबकि इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः भा.स. से लिये गये आंतरिक उधार, ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं सृजित निधि से प्राप्तियाँ होती हैं, 2006-07 के परिसंम्पतियों पिछले वर्ष से 2972 करोड़ रुपये (26 प्रतिशत) जबकि दायित्व 2026 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) बढ़ी। परिसम्पतियों से दायित्व का अनुपात 2001-02 में 34 प्रतिशत से 2006-07 में 73 प्रतिशत तक लगातार बढ़ा जैसाकि **तालिका 1.27** में दिखाया गया है। दायित्व से परिसम्पतियों का कम अनुपात का कारण आंशिक रूप से यह है कि राज्य को संयुक्त बिहार से 5991 करोड़ रुपये का लोक ऋण दायित्व तो मिला परंतु परिसम्पतियों का बँटवारा अभी तक नहीं हुआ है (अक्टूबर 2007)। **परिशिष्ट 1.5**, राज्य सरकार के वित्त पर 2001-07 की अवधि के लिए समय श्रेणी आँकड़े दिखाता है।

1.6.1 सरकारी निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

1.6.1.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

सताईस अपूर्ण परियोजनाओं में एक करोड़ रुपये और अधिक के कुल निवेश के साथ पथ निर्माण विभाग (20), भवन निर्माण विभाग (1) और जल संसाधन विभाग (6) से संबंधित 31 मार्च 2007 तक 1489.01 करोड़ रुपये का कुल निवेश अंतर्गस्त है। कुल निवेश 1489.01 करोड़ रुपये अपूर्ण परियोजनाओं में से 83 प्रतिशत (1229.65 करोड़ रुपये) केवल एक सिंचाई परियोजना (स्वर्ण रेखा परियोजना) में है जो यद्यपि लगभग एक दशक पूर्व प्रारम्भ हुई परंतु अभी भी पूर्ण होना शेष है।

1.6.1.2 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप किये जाते हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित इस प्रकार की 63 इकाइयाँ हैं यथा उद्योग (12) वन एवं पर्यावरण (25), पशुपालन (2) स्वास्थ्य (1), ऋण (1), श्रम (1), और कृषि (21) जिन्हें वार्षिक रूप से उपचारार्थ लेखा तैयार करना आवश्यक था। तथापि, 1997-98 से 2006-07 के मध्य 13 संबंधित इकाइयों में संचालित लेखापरीक्षा से

उद्घटित हुआ कि इनके द्वारा प्रारम्भ से ही उपचारार्थ लेखा तैयार नहीं किया गया था। शेष अन्य इकाइयों से संबन्धित आवश्यक ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

1.6.1.3 निवेश एवं वापसी

सरकार ने नया राज्य बनने के बाद से 31 मार्च 2007 तक पाँच कम्पनियों (21.79 करोड़ रुपये) और नौ सहकारी बैंकों एवं समितियों (6.91 करोड़ रुपये) में 28.70 करोड़ रुपये का निवेश किया। सरकार द्वारा भुगतान किये गये उधार पर ब्याज की दर के विरुद्ध 2001-07 के दौरान छः से नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष द्वारा विचलित, राज्य सरकार द्वारा निवेशों से वापसी नगण्य ही प्रतिवेदित की गयी। संयुक्त बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक सांविधिक निगमों और ज्वयान्ट स्टॉक कम्पनियों के साथ-साथ इन संस्थाओं में किये गये निवेशों का बँटवारा पूर्ववर्ती राज्य बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है।

तालिका 1.19 निवेश पर वापसी

वर्ष	वर्ष के अंत तक निवेश	वापसी	वापसी की प्रतिशतता	सरकार के उधार पर ब्याज की दर	ब्याज दर एवं वापसी के बीच अंतर
	(करोड़ रुपये में)				(प्रतिशत में)
2001-02	13.99	शून्य	शून्य	9.37	9.37
2002-03	15.55	शून्य	शून्य	7.22	7.22
2003-04	16.60	शून्य	शून्य	6.15	6.15
2004-05	18.05	1.0	6	6.56	0.56
2005-06	25.05	शून्य	शून्य	7.55	7.55
2006-07	28.70	शून्य	शून्य	8.20	8.20

1.6.1.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारिता समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में अपने निवेश के अतिरिक्त, 2006-07 के दौरान सरकार ने 410.81 करोड़ रुपये का ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया, यह पिछले वर्ष से 3336.03 करोड़ रुपये कम था। कमी मुख्यतः 2006-07 के दौरान झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को कम ऋण देने के कारण था। यद्यपि, बा.वि.आ. ने अनुशंसित किया है कि सरकार के ऋण पर ब्याज प्राप्ति पंचाट अवधि (2009-10) के अंत तक धीरे-धीरे सात प्रतिशत तक बढ़ना चाहिए, 2006-07 के दौरान बकाये ऋण पर ब्याज प्राप्ति केवल 0.72 प्रतिशत थी इसमें उचित सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। तथापि, 2006-07 के दौरान कुल ब्याज प्राप्ति का लगभग 99 प्रतिशत ब्याज आय सरकार को आर.बी.आई. के पास रोकड़ शेष और अन्य स्रोतों से हुई। सरकार द्वारा संस्थाओं/संगठनों को दिये गये ऋण अग्रिम सहित ब्याज प्राप्ति बहुत ही कम थी। इन अग्रिमों के विरुद्ध उद्ग्रहित ब्याज 2006-07 के दौरान कुल ब्याज प्राप्ति का एक प्रतिशत था। वर्ष 2001-07 के दौरान बकाये ऋण के कुल पुनर्भुगतान का, सरकारी संगठनों/संस्थाओं द्वारा किया गया पुनर्भुगतान बहुत कम था, अवधि के दौरान कुल पुनर्भुगतान के 2 से 18 प्रतिशत के बीच विचलित था। वर्ष 2006-07 में कुल पुनर्भुगतान का, सरकारी संगठनों/संस्थाओं ने ऋण पुनर्भुगतान 2005-06 में दो प्रतिशत के विरुद्ध चार प्रतिशत ही किया।

तालिका 1.20: राज्य सरकार की ब्याज प्राप्ति

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आरम्भिक शेष	22.82	349.51	631.20	760.79	1330.01	5067.04
वर्ष के दौरान दिया गया अग्रिम	329.18	284.92	133.53	576.80	3746.84	410.81
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	2.49	3.23	3.94	7.58	9.81	15.75
अंत शेष	349.51	631.20	760.79	1330.01	5067.04	5462.10
निवल जोड़	326.69	281.69	129.59	569.22	3737.03	395.06
प्राप्त ब्याज	61.06	96.08	46.65	18.63	71.49	38.09
ऋण एवं अग्रिम से प्राप्त ब्याज (प्रतिशत में)	*32.80	19.59	6.70	1.78	2.24	0.72
राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय दायित्व को औसत ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	8.09	16.97	12.13	9.48	9.20	8.77
दिये गये और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर	24.71	2.62	(-)5.43	(-)7.70	(-)6.96	(-)8.05

* ऋण के पुराने शेष पर उपार्जित ब्याज सहित जो संयुक्त बिहार से झारखण्ड को अभी भी बाँटना है।

1.6.2. रोकड़ शेष का प्रबंधन

यह सामान्यतः अपेक्षित है कि राज्य के संसाधनों की प्रवृत्ति इसके व्यय दायित्वों से मेल खाना चाहिए। तथापि, संस्थानों एवं व्यय दायित्वों की प्रवृत्ति में किसी अस्थायी बेमेल को ध्यान में रखते हुए भारत के रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों का एक तंत्र रखा गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान, झारखण्ड की साधारण अर्थोपाय अग्रिम सीमा 280 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की सुरक्षा के विशेष अर्थोपाय अग्रिम 4.34 करोड़ रुपये से अधिक नहीं (1 अप्रैल 2006 से प्रभावी), 0.03 करोड़ रुपये (12 मई 2006 से प्रभावी) 4.18 करोड़ रुपये (2 जून 2006 से प्रभावी), 4.07 करोड़ रुपये (3 जुलाई 2006 से प्रभावी), 4.17 करोड़ रुपये (3 अक्टूबर 2006 से प्रभावी) और 4.18 करोड़ रुपये (2 जनवरी 2007 से प्रभावी) से 31 मार्च 2007 को राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से सुरक्षा के विरुद्ध उपलब्ध थे। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने इस वित्त के स्रोत को 29 दिनों के लिए उपयोग किया जिसके लिए उसे 0.47 करोड़ रुपये ब्याज का भुगतान करना पड़ा। राज्य सरकार का रोकड़ शेष वर्तमान वर्ष के अंत तक 1003.65 करोड़ रुपये था, जिसमें 966.97 करोड़ रुपये राज्य की अन्य सुरक्षाओं और भारत सरकार के कोषागार विपत्रों में निवेशित किया। वर्ष 2006-07 के दौरान निवेशित रोकड़ शेष पर अर्जित ब्याज 36.20 करोड़ रुपये था।

(करोड़ रुपये में)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
अर्थोपाय अग्रिम						
वर्ष में लिया गया	11.92	-	320.93	-	-	229.75
बकाया	59.99	8.86	8.86	8.86	8.86	8.86
दिया गया ब्याज	-	*	0.79	-	-	0.47
दिनों की संख्या	1	-	31	-	-	29

*राशि तीस हजार से कम है।

अर्थोपाय अग्रिम का 8.86 करोड़ रुपये बकाया 14.11.2000 को भारत सरकार द्वारा झारखण्ड और बिहार के बीच बकाये शेष के बँटवारे के कारण था जिसे जनसंख्या अनुपात 645.30: 218.44 के आधार पर किया गया जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका बँटवारा 79.4 20.6 के अनुपात से किया और तदनुसार वसूली की।

1.7 अनिर्वाहित दायित्व

1.7.1 राजकोषीय दायित्वलोक लोकऋण एवं प्रतिभूतियाँ

दो प्रकार के दायित्व होते हैं नामतः लोक ऋण और अन्य दायित्व। लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण समाविष्ट है और समेकित निधि-पूँजीगत लेखे के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणी में प्रतिवेदित होता है। इसमें बाजार ऋण, आर.बी.आई. द्वारा निर्गत विशेष सुरक्षाओं और केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। भारत का संविधान प्रावधान करता है कि राज्य अपनी समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के भीतर, ऐसी सीमाओं में, जो समय-समय पर विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा निर्धारित की गयी थी, उधार ले सकता है। तथापि, राज्य द्वारा इस प्रकार का कोई कानून पास नहीं किया गया। अन्य दायित्व जो लोकलेखा के अंश है, लघु बचत योजना, भविष्य निधि और अन्य जमा के अंतर्गत जमा सम्मिलित हैं। बा.वि.आ. ने सिंकिंग फण्ड बनाने, जो एन.एस.एस.एफ. आदि के लेखा दायित्वों, बैंक से ऋण सहित सभी ऋण के परिशोधन के लिए, राज्य की समेकित निधि और लोक लेखा के बाहर से संधारित हो, की अनुशंसा की है, परंतु आजतक इस प्रकार की कोई निधि नहीं बनायी गयी।

तालिका 1.21 राज्य के राजकोषीय दायित्व, इसकी वृद्धि दर, जी.एस.डी.पी. से इन दायित्वों का अनुपात, से राजस्व प्राप्तियाँ और स्वयं के संसाधनों और इन प्राचलों के संदर्भ में राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता भी देती है।

तालिका 1.21: राज कोषीय दायित्व-मूल प्राचल

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
राजकोषीय दायित्व (करोड़ रुपये में)	7804	8923	10569	13512	17360	19417
वृद्धि की दर (प्रतिशत)	--	14.3	18.5	27.8	28.5	11.8
से राजकोषीय दायित्वों का अनुपात						
जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	22.3	23.4	24.9	23.8	27.6	27.8
राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	173.6	180.7	187.5	202.9	205.1	194.0
स्वयं के संसाधन (प्रतिशत)	320.1	326.0	341.8	393.2	414.8	437.4
से राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता						
जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	#	1.59	1.63	0.82	2.66	1.09
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	#	1.46	1.30	1.54	1.05	0.64
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	#	1.16	1.42	2.50	1.31	1.93

दिखाये गये आँकड़े 14 नवम्बर 2000 को पूर्ववर्ती बिहार और झारखण्ड के बीच लम्बित बाँटवारे संयुक्त बिहार के भविष्य निधि आदि, रक्षित निधि और जमा के संबंध में दायित्वों को छोड़कर है।


तुलनीय नहीं क्योंकि झारखण्ड का निर्माण 15 नवम्बर 2000 को हुआ था।

राज्य का समस्त राजकोषीय दायित्व 2001-02 में 7804 करोड़ रुपये से 2006-07 में 19417 करोड़ रुपये तक 149 प्रतिशत से पिछले वर्ष से 2006-07 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर से लगातार बढ़ गया। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात

2001-02 में 22.3 प्रतिशत से 2006-07 में 27.8 प्रतिशत तक बढ़ गया। ये दायित्व 2006-07 के अंत तक राजस्व प्राप्तियों का लगभग दुगुना और राज्य के स्वयं के संसाधनों का चार गुणा हो गया। 2006-07 के दौरान राजकोषीय दायित्व राज्य के जी.एस.डी.पी. से अधिक गति से बढ़ा। वर्ष के दौरान जी.एस.डी.पी. से कर दायित्वों की उत्प्लावकता 1.09 थी जो दर्शाता है कि जी.एस.डी.पी. प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए राजकोषीय दायित्व 1.09 प्रतिशत बढ़ गया।

वर्ष 2006-07 के अंत तक राजकोषीय दायित्व में आंतरिक ऋण (14423 करोड़ रुपये), ऋण एवं अग्रिम केन्द्र सरकार से (2701 करोड़ रुपये) लघु बचत, भविष्य निधि काफि (719 करोड़ रुपये) और अन्य दायित्व (1574 करोड़ रुपये) समाविष्ट है। आंतरिक ऋण (14423 करोड़ रुपये) में बाजार ऋण का हिस्सा 3815 करोड़ रुपये, भारत सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूती (8251 करोड़ रुपये) क्षतिपूर्ति एवं अन्य वॉण्ड (1912 करोड़ रुपये) तथा अन्य संस्थायें (445 करोड़ रुपये) हैं। बढ़ते दायित्वों ने राज्य सरकार के वित्त की अविच्छिन्नता का मुद्दा उठा दिया था।

संयुक्त राज्य बिहार के ऐसे दायित्वों का बँटवारा पूर्ववर्ती बिहार और झारखण्ड राज्य के बीच अभी तक नहीं हुआ है (सितम्बर 2006)। झारखण्ड सरकार द्वारा की गयी प्रतिभूति के संबन्ध में सूचनायें सरकार द्वारा नहीं दी गयी हैं।



1.8 ऋण दीर्घकालीनता

ऋण दीर्घकालीनता को लम्बे समय तक ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात को लगातार संघारित करने में राज्य की क्षमता और इसके ऋण सेवा की क्षमता को मूर्त रूप देने की तरह परिभाषित किया गया है। ऋण की दीर्घकालीनता, इसलिए, वर्तमान और प्रतिबद्ध दायित्वों को वहन करने के लिए परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे उधार से अतिरिक्त उधारों और वापसी के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता की ओर संकेत करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि को ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ मिलना चाहिए। ऋण दीर्घकालीनता के लिए पहली शर्त अनुपात के अनुसार ऋण स्थिरीकरण ऋण/जी.एस.डी.पी. है।

1.8.1 ऋण स्थिरीकरण

स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर से या लोक उधार मूल्य से बढ़ जाती है, ऋण जी.एस.डी.पी. का अनुपात लगभग स्थिर हो जायेगा बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या संयमपूर्वक ऋणात्मक हो। दर का विस्तार (जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) यदि दिया हो तो ऋण दीर्घकालीनता की स्थिति कहती है कि मात्रा विस्तार प्राथमिक घाटा के साथ शून्य हो, ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण सम्भवतः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटा मात्रा विस्तार के साथ ऋणात्मक हो जाता है, ऋण-जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ेगा और यदि यह धनात्मक हो, ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात सभ्याव्यता गिरेगा। घाटा विचरण की प्रवृत्तियाँ ऋण स्थिरीकरण की और प्रगति को दर्शाती हुई तालिका 1.22 में दिखायी गयी है।

तालिका 1.22: ऋण स्थितीकरण ब्याज दर और जी.एस.डी.पी. वृद्धि

(प्रतिशत में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
औसत ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	17.0	12.1	9.5	9.2	8.8
जी.एस.डी.पी. वृद्धि	9.0	11.3	33.8	10.7	10.8
ब्याज विस्तार	(-)8	(-)0.8	24.3	1.5	2.0
कुल ऋण (करोड़ रुपये में)	7804	8923	10569	13512	17360
मात्रा विस्तार (करोड़ रुपये में)	(-)624.32	(-)71.38	2568.27	202.68	347.20
प्राथमिक घाटा (-)/अधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	(-)301	(+)308	(-)1076	(-)4183	(+)703

तालिका 1.22 उद्घटित करती है कि मात्रा विस्तार प्राथमिक घाटा के साथ 2002-07 के दौरान अस्थिर रहा है। मात्रा विस्तार प्राथमिक घाटा के साथ 2006-07 में धनात्मक हो गया जबकि 2005-06 में ऋणात्मक था, 2006-07 में ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात गिरता हुआ दर्शाता है। जी.एस.डी.पी. के साथ ऋण की शुरुआत में ऋण बकाये की प्रतिशतता 2002-07 के दौरान 19 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच था। जी.एस.डी.पी. से राजकोषीय घाटा का अनुपात भी 2005-06 में नौ प्रतिशत से 2006-07 में एक प्रतिशत तेजी से घट गया।

1.7.2 गैर ऋण प्राप्तियाँ की पर्याप्तता

ऋण स्थिरता एवं इसकी दीर्घकालीनता के अन्य सूचक बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु राज्य की गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण दीर्घकालीनता को मुख्यरूप से सुसाध्य बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई गैर ऋण प्राप्तियाँ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें। तालिका 1.23, 2001-07 की अवधि के लिए परिभाषित संसाधन अंतर को दर्शाती है।

तालिका 1.23: बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय

(करोड़ रुपये में)

अवधि	बढ़ता हुआ				संसाधन अंतर
	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक व्यय	ब्याज भुगतान	कुल व्यय	
2002-03	443	(-)53	851	798	(-)355
2003-04	702	93	(-)237	(-)144	(+)846
2004-05	1027	2411	(-)41	2370	(-)1343
2005-06	1805	4912	279	5191	(-)3386

2006-07	1552	(-)3334	193	(-)3141	(+)4693
---------	------	---------	-----	---------	---------

लगातार ऋणात्मक संसाधन अंतर ऋण की गैर दीर्घकालीनता दर्शाता है जबकि धनात्मक संसाधन अंतर ऋण को रोकने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। वर्ष 2002-07 के दौरान, यद्यपि पाँच में से तीन गुणात्मक अंतर दर्शाते हैं परंतु पिछला वर्ष मध्य से लम्बे समय में राज्य के ऋण को सहने की क्षमता की ओर बढ़ रहा है।

1.8.3 उधार निधि की निवल उपलब्धता

राज्य की ऋण दीर्घकालीनता (1) कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूल+ब्याज भुगतान) का अनुपात (2) उपलब्ध उधार निधि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण प्राप्ति से ऋण विमोचन का अनुपात दर्शाता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण विमोचन में प्रयुक्त की जा सकती हैं और यही उधार निधि की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करता है। सरकार को ऋण समस्या का समाधान उधार निधि के अनुप्रयोग पर है अर्थात् वे हैं (क) वित्तीय राजस्व व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जाना और (ख) पूँजीगत व्यय के लिए क्षमता और उत्पादकता में उपयोग किया जाना जो या तो प्रत्यक्षतः वापसी प्रदान करता है या सामान्यतः आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने में परिणाम देता है जिससे सरकार का राजस्व बढ़ सकता है।

तालिका 1.24 राज्य के अंतरिक ऋण और अन्य राजकोषीय दायित्वों की प्राप्ति और पुनर्भुगतान के साथ-साथ पिछले पाँच सालों में उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता की स्थिति भी देती है।

तालिका 1.24 उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
आंतरिक ऋण[†]	(करोड़ रुपये में)					
प्राप्तियाँ	1208	1482	1951	3057	3495	1849
पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज)	107	748	653	836	1016	1513
निवल उपलब्ध निधि	1101	734	1298	2221	2479	336
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	91	50	67	73	71	18
भा.स. से ऋण एवं अग्रिम						
प्राप्तियाँ	389	408	471	513	6	17
पुनर्भुगतान (मूल + ब्याज)	663	1354	1304	1028	476	468
निवल उपलब्ध निधि	#	#	#	#	#	#
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	#	#	#	#	#	#
अन्य दायित्व						
अन्य प्राप्तियाँ	1118	1536	1599	1428	1782	2061
पुनर्भुगतान (मूल+ब्याज)	947	1572	1600	1334	1362	1502
निवल उपलब्ध निधि	171	#	#	94	420	559
निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	15	#	#	7	24	27
कुल दायित्व						
प्राप्तियाँ	2715	3426	4021	4998	5283	3927
पुनर्भुगतान (मूल+ ब्याज)	1717	3674	3557	3198	2854	3483
निवल उपलब्ध निधि	998	#	464	1800	2429	444

[†] अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर आंतरिक ऋण।

निवल उपलब्ध निधि (प्रतिशत)	37	#	12	36	46	11
----------------------------	----	---	----	----	----	----

निधि की उपलब्धता ऋणात्मक थी।

वर्ष 2001-07 के दौरान भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण की निवल उपलब्ध निधि ब्याज और पुर्नभुगतान प्रदान करने के बाद 7 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक विचरित करती थी। निवल उपलब्धता, तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान कम प्राप्ति और पुर्नभुगतान बढ़ने के कारण 2005-06 में 46 प्रतिशत से 2006-07 में 11 प्रतिशत तक बढ़ गयी। वर्ष के दौरान, सरकार ने 444 करोड़ रुपये का आंतरिक ऋण, भारत सरकार के 162 करोड़ रुपये का ऋण का भुगतान किया और 1613 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ 1263 करोड़ रुपये के अन्य दायित्वों को भी प्रतिभुक्त किया।

तालिका 1.24, 2001-06 के दौरान आंतरिक ऋण में उधार की प्रवृत्ति को बढ़ते हुए दर्शाती है। आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ 2001-02 में 1208 करोड़ रुपये से 2005-06 में 3495 करोड़ रुपये 189 प्रतिशत तक बढ़ गयी, तथापि, 2006-07 में यह 1849 करोड़ रुपये घट गयी।

राज्य सरकार ने 2005-06 के 364.12 करोड़ रुपये 7.55 औसत ब्याज दर के विरुद्ध 2006-07 में 400.52 करोड़ रुपये 8.20 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर बाजार ऋण का सृजन किया। राज्य सरकार ने 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय लघुबचत निधि से 1255.75 करोड़ रुपये का उधार लिया। तदन्तर, भारत सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान ऋण हटाओ योजना के अंतर्गत उच्च लागत ऋण को कम लागत उधार से हटाने के कारण 2002-03 में 495 करोड़ रुपये से 2006-07 में 306 करोड़ रुपये तक कम हो गया। ब्याज सहित भारत सरकार के ऋण का पुर्नभुगतान 2002-03 में 1354 करोड़ रुपये 2006-07 में 468 करोड़ रुपये तक नियमित रूप से घट गया।

राज्य सरकार के वर्तमान 32 प्रतिशत बाजार ऋण पर 31 मार्च 2006 को, 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर थी। इस प्रकार, इसके पूर्व से ऋण दर उधार की प्रभावकारी लागत वर्तमान में बाजार से संसाधन प्राप्त करने के योग्य दर से काफी उँचा है। राज्य सरकार के बाजार ऋण का परिपक्वता ब्यौरा दर्शाता है कि कुल बाजार मूल्य का लगभग 45 प्रतिशत अगले पाँच वर्षों में भुगतान करना है जबकि शेष 55 प्रतिशत ऋण 6 से 10 वर्षों के अंदर भुगतान करना आवश्यक था।

1.9. घाटे का प्रबंधन

सरकारी लेखा में घाटा, इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतराल को निरूपित करता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक की सूचक है। तदन्तर, साधन जिसमें घाटा वित्तपोषित किया जाता है, तथा इस प्रकार उठाये गये संसाधन प्रयुक्त किये जाते हैं, राजकोषीय दक्षता के सूचक है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य में राजकोषीय संतुलन की स्थिति दर्शाते हुए राजकोषीय प्राचलों में प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.25** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.25: राजकोषीय असंतुलन-मूल प्राचल

प्राचल	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

राजस्व घाटा(-)अधिक्य (+) करोड़ (करोड़ रुपये में)	(-) 305	(-) 572	(+) 232	(-) 315	(-) 27	946
राजकोषीय घाटा (-) आधिक्य(+) (करोड़ रुपये में)	(-)1365	(-) 1720	(-) 874	(-) 2217	(-)603	(-)910
प्राथमिक घाटा (-)अधिक्य (+) (करोड़ रुपये में)	(-) 797	(-) 301	(+) 308	(-) 1076	(-) 4183	(+) 703
आर.डी./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	(-) 0.9	(-) 1.5	(+) 0.5	(-) 0.6	0.0	(+)1.4
एफ.डी./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	(-) 3.9	(-) 4.5	(-) 2.1	(-) 3.9	(-) 8.9	(-)1.3
पी.डी./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	(-) 2.3	(-) 0.8	(+) 0.7	(-) 1.9	(-) 6.6	(+)1.0
आर.डी./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	(+) 22.3	(+) 33.3	(-) 26.5	(+) 14.2	(+) 0.5	(-)104.0

राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष-दर वर्ष उतार चढ़ाव के बाद राजस्व प्राप्तियों से इसके राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है, 2001-02 में 305 करोड़ रुपये से 2006-07 में 946 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य से घट गया। 2005-06 में 27 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा राजस्व आधिक्य में मुख्यतः राजस्व व्यय के 573 करोड़ रुपये (7 प्रतिशत) की वृद्धि के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों में 1546 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत) के वृद्धि के कारण 946 करोड़ रुपये के विशाल राजस्व आधिक्य में बदल गया। तथापि, 84 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों के बढ़ने का कारण (1292 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष से 2006-07 में भारत सरकार से सहायता अनुदान (417 करोड़ रुपये) और संघीय कर एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा (875 करोड़ रुपये) में समाविष्ट केन्द्रीय स्थानांतरण की वृद्धि थी।

राजस्व घाटा, जो सरकार के कुल उधार और इसके कुल संसाधन अंतराल को दिखाता है, 2001-02 में 1305 करोड़ रुपये से 2005-06 में 5603 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई परंतु 2006-07 में तेजी से 910 करोड़ रुपये घट गया। वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व लेखा में आधिक्य के रूप में 973 करोड़ रुपये (84 प्रतिशत) का लचीलेपन, पिछले वर्ष से राजकोषीय घाटा का वर्ष के दौरान 4693 करोड़ रुपये घटाव मुख्यतः 3336 करोड़ रुपये से ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में घटाव और 378 करोड़ रुपये में पूँजीगत व्यय के साथ-साथ पिछले वर्ष से 2006-07 के दौरान गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 6 करोड़ रुपये की थोड़ी गिरावट के कारण था।

राज्य को 2001-02 में 797 करोड़ रुपये का प्राथमिक घाटा भी था जो 2005-06 में 4183 करोड़ रुपये से बढ़ गया परंतु 2006-07 में 703 करोड़ रुपये के प्राथमिक आधिक्य से तेजी से घट गया। ब्याज भुगतान में 123 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ राजकोषीय घाटा में 4693 करोड़ रुपये की तेजी से गिरावट के फलस्वरूप 2006-07 के दौरान 703 करोड़ रुपये का प्राथमिक आधिक्य दर्शाता है कि राज्य के बजट में राजकोषीय घाटा केवल सरकार के पूर्व राजकोषीय परिचालन से उत्पन्न हुए भुगतान दायित्व का एक मात्र कारण था।

जी.एस.डी.पी. के एक भाग की तरह, राजस्व आधिक्य 1.4 प्रतिशत था जबकि राजकोषीय घाटा 2006-07 में 1.3 प्रतिशत तक पहुँच गया था। वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य का होना दर्शाता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ इसके राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय के कुछ भाग ही वहन करने में सक्षम थी।

1.9.2 आधिक्य/घाटे की गुणवत्ता

एफ.डी. से आर.डी. का अनुपात और प्राथमिक घाटा का प्राथमिक राजस्व घाटा और पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) का उपघटन राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को दर्शाना चाहेगा। राजकोषीय घाटा से राजस्व घाटा का अनुपात वर्तमान उपभोग के लिए उधार निधि सीमा तक उपयोग को दर्शाता है। एफ.डी. से आर.डी. का अनुपात जो सही ढंग से 2002-03 में 33.3 प्रतिशत से 2004-05 में 14.02 प्रतिशत तक गिर गया, 2005-06 में बेतुके ढंग से 0.5 प्रतिशत तक घट गया और आर.डी. समाप्त होकर वर्तमान वर्ष के दौरान आधिक्य में बदल गया। यह 2006-07 में घाटा की गुणवत्ता में उन्नति को दर्शाता है और सभी उधार क्रियाकलापों में उपयोग किये गये जिसके फलस्वरूप राज्य की परिसम्पत्ति का विस्तार हुआ।

तालिका 1.26 प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का बँटवारा

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2001-02	4497	4232	733	329	5294	265	(-)797
2002-03	4940	4090	866	285	5241	850	(-)301
2003-04	5642	4224	976	134	5334	1418	(+)308
2004-05	6669	5835	1333	577	7745	834	(-)1076
2005-06	8474	7071	1839	3747	12657	1403	(-)4183
2006-07	10026	7451	1461	411	9323	2575	(+)703

घटकों के बँटवारे के फलस्वरूप 2001-07 के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटा या आधिक्य से उद्घटित हुआ (तालिका 1.26) कि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक घाटा पूँजीगत व्यय के खर्च करने और ऋण एवं अग्रिम के संवितरण के कारण हुआ। दूसरे शब्दों में, राज्य की गैर ऋण प्राप्ति में समाविष्ट मुख्यतः राजस्व प्राप्ति (2001-07 के दौरान 99 प्रतिशत से अधिक) राजस्व लेखा में प्राथमिक व्यय आवश्यकता वहन करने में ही पर्याप्त नहीं थी बल्कि पूँजीगत व्यय के अंतर्गत व्यय को वहन करने के लिए भी कुछ प्राप्ति छोड़ चुकी थी। परंतु आधिक्य प्राप्ति पूँजीगत लेखा के अंतर्गत आवश्यक व्यय को वहन करने में पर्याप्त नहीं थी फलस्वरूप प्राथमिक घाटा हुआ और राज्य सरकार को पूँजीगत व्यय के वहन के लिए उधार पर आश्रित होना पड़ा (2003-04 और 2006-07 को छोड़ कर)। वर्ष 2006-07 के दौरान पूँजीगत व्यय के संदर्भ में प्राथमिक आधिक्य का अस्तित्व दर्शाता है कि पूँजीगत लेखा के अंतर्गत भी प्राप्ति, व्यय वहन करने के लिए पर्याप्त थी। तथापि, यह पिछले वर्ष से 2006-07 में 3714 करोड़ रुपये (66 प्रतिशत) से पूँजीगत लेखा में तेजी से गिरावट के कारण था।

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य का वित्त कायमता योग्य, लचीला और अभेद्य होना चाहिए। नीचे तालिका 1.27, 2001-07 के सरकारी वित्त की संक्षेपित स्थिति कुछ मूल संकेतकों के संदर्भ में प्रस्तुत करती है जो उपलब्ध संसाधनों और उनके अनुप्रयोग की पर्याप्तता एवं प्रभावपूर्णता अनुमानित करने तथा इसके महत्वपूर्ण पक्षों को अभिग्रहित करने में सहायक होते हैं।

जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों एवं राज्य के स्वयं के करों का अनुपात संसाधनों की पर्याप्ता को सूचित करता है। राजस्व उत्प्लावकता को सूचित करती राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के कर एवं कर भिन्न राजस्व तक ही समाविष्ट नहीं हैं परंतु इसमें संघ सरकार से स्थानांतरण भी है। जी.एस.डी.पी. से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2005-06 में 13.4 प्रतिशत से 2006-07 में 14.4 प्रतिशत बढ़ गया जबकि जी.एस.डी.पी. से स्वयं के कर का अनुपात 2005-06 में 4.4 प्रतिशत से 2006-07 में 6 प्रतिशत थोड़ा बढ़ा।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात इसके व्यय की गुणवत्ता तथा इसके संसाधन संगठन प्रयासों के संबंध में इनकी कायमता सूचित करती है। कुल व्यय से राजस्व व्यय की प्रतिशतता 2005-06 में 60 प्रतिशत से 2006-07 में 83 प्रतिशत तक बढ़ गयी। कुल व्यय की तुलना जब इसकी राजस्व प्राप्तियों से की जाती है तो कुल व्यय घटाव के कारण ऋणात्मक उत्प्लावकता दिखाती है जबकि राजस्व व्यय की तुलना जब राजस्व प्राप्तियों से की जाती है तो कमतर उत्प्लावकता दिखाई देती है। 2006-07 के दौरान कुल व्यय का लगभग 92 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से पूरा होना यह दर्शाता है कि राज्य के इसके विकासात्मक क्रियाकलापों का विस्तार पर पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उधारों पर लगातार आश्रयिता है।

वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा में महत्वपूर्ण गिरावट राज्य की राजकोषीय स्थिति में प्रगति को दर्शाता है। चालू राजस्व से शेष (वी.सी.आर.) 2005-06 में 1120 करोड़ रुपये से 2006-07 में 2117 करोड़ रुपये यानि 89 प्रतिशत तक बढ़ना परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए प्रचुर निधि और योजनागत व्यय का वहन दर्शाता है परंतु सरकार इसका उपयोग करने में असफल रही जिसके फलस्वरूप कुल व्यय में तेजी से गिरावट हुई।

तालिका 1.27 राजकोषीय दक्षता के सूचक

(प्रतिशत में)

राजकोषीय सूचक	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
संसाधनों का संगठन						
राजस्व प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	12.8	12.9	13.3	11.7	13.4	14.4
राजस्व उत्प्लावकता	-	1.09	1.26	0.54	2.53	1.69
स्वयं के कर/जी.एस.डी.पी	4.5	4.6	4.7	4.2	4.4	4.6
व्यय प्रबंधन						
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	16.7	17.4	15.3	15.6	22.4	15.7
कुल राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	76.7	74.1	86.5	75.0	60.1	91.5
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	130.4	134.9	115.6	133.4	166.3	109.3
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	81.9	82.7	83.0	78.5	60.3	82.9
सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर वेतन व्यय/कुल राजस्व व्यय	18.8	16.4	24.8	21.6	20.4	20.8
सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर गैर वेतन व्यय/ कुल राजस्व व्यय	42.9	33.6	26.9	36.2	37.5	37.2
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	12.5	13.0	15.0	15.0	13.1	13.4
सामाजिक आर्थिक सेवा पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	12.4	12.6	14.5	14.8	12.5	12.7
रा.प्रा. के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता	-	1.38	(-) 0.15	2.01	2.15	(-)1.22

रा.प्रा. के साथ रा.व्य.की उत्प्लावकता	-	1.50	(-) 0.13	1.60	0.80	0.37
राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन						
राजस्वघाटा/आधिक्य (करोड़ रुपये में)	(-) 305	(-) 572	(+) 232	(-) 315	(-) 27	(+)946
राजकोषीय घाटा/आधिक्य (करोड़ रुपये में)	(-) 1365	(-) 1720	(-) 874	(-) 2217	(-) 5603	(-)910
प्राथमिक घाटा/ आधिक्य व्यय (करोड़ रुपये में)	(-) 797	(-) 301	(+) 308	(-) 1076	(-) 4183	(+)703
राजस्व धारा/ राजकोषीय घाटा	(+) 22.3	(+) 33.3	(-) 26.5	(+) 14.2	(+) 0.5	(-)104
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन						
राजकोषीय दायित्वों/जी.एस.डी.पी.	22.3	23.45	24.9	23.8	27.6	27.8
राजकोषीय दायित्वों/ आर.आर.	173.6	180.7	187.5	202.9	205.1	194.0
रा.प्रा. के साथ रा.दा. की उत्प्लावकता		1.46	1.30	1.54	1.05	0.64
ओ.आर. के साथ रा.दा. की उत्प्लावकता		1.16	1.42	2.50	1.31	1.93
प्राथमिक घाटा की तुलना में प्रभाव फैलाव(करोड़ रुपये में)	-	(-) 925.32	236.62.	1492.27	3980.32	1050.20
निवल उपलब्ध निधि	37	(-) 7	12	36	46	11
अन्य राजकोषीय क्षमता सूचक						
निवेश से वापसी (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य
वी.सी.आर. (करोड़ रुपये में)	599	(-) 2	847	892	1120	2117
वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्व (प्रतिशत में)	34	33	44	54	64	73

1.11 उपसंहार

वर्ष 2001-07 के दौरान, पिछले वर्ष से प्राचल राजकोषीय सूचक-राजस्व और राजकोषीय घाटा-राज्य की राजकोषीय स्थिति में एक सीमित सार्थक उन्नति दिखाती है। वर्ष 2006-07 में 946 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य पिछले वर्ष में 27 करोड़ रुपये के घाटा का सापेक्ष, तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखने की आवश्यकता है कि 84 प्रतिशत के बढ़ते हुए राजस्व प्राप्तियों (1292 करोड़ रुपये) का कारण केन्द्रीय स्थानांतरण की वृद्धि में समाविष्ट सधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा (875 करोड़ रुपये) और पिछले वर्ष से 2006-07 में भारत सरकार से अनुदान (417 करोड़ रुपये) है। इसी प्रकार पिछले वर्ष में 5603 करोड़ रुपये के स्तर से 2006-07 के दौरान राजकोषीय घाटा में 4693 करोड़ रुपये की अविश्वसनीय गिरावट, चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 378 करोड़ रुपये की गिरावट और विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के लिए ऋण के संवितरण में 3317 करोड़ रुपये की तेजी से गिरावट को भी दृष्टि में रखते हुए देखने की आवश्यकता है। राज्य का व्यय बनावट उद्घटित करता है कि परिसम्पत्तियों का निर्माण और सेवा विस्तार के पर्याप्त विस्तार के रहते हुए 2001-07 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय की प्रतिशतता से बहुत कम अंतर 82.87 प्रतिशत के बीच रहा जिसके परिणामस्वरूप 2006-07 के दौरान राज्य 27 प्रतिशत राजकोषीय दायित्व अभी भी बिना परिसम्पत्ति के समर्थन के था। इसके अतिरिक्त, राजस्व व्यय के अंदर 2006-07 में 6632 करोड़ का एन.पी.आर.ई. वर्ष के लिए बा.वि.आ. द्वारा किये गये 5258 करोड़ रुपये के नियामक निर्धारण से काफी अधिक रही। तदन्तर, तीन घटक, वेतन व्यय, पेंशन दायित्व और ब्याज भुगतान 2006-07 के दौरान एन.पी.आर.ई. के लगभग 76 प्रतिशत था। पिछले वर्ष के 2006-07 के दौरान कुल व्यय में योजना व्यय और पूँजीगत व्यय में गिरावट राज्य के विकास की गिरती हुई प्रवृत्ति और व्यय की गुणवत्ता दर्शाती है। गिरता हुआ राजकोषीय दायित्व, सरकारी निवेशों पर नगण्य वापसी

और ऋण और अग्रिम पर अपर्याप्त वसूली के साथ राजकोषीय घाटा के व्यापक रहने के कारण मध्यम या लम्बे दौर में राज्य पर राजकोषीय दबाव डाल सकता है यदि अनुवर्ती वर्षों में कर और कर भिन्न संसाधनों दोनों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन बढ़ाकर गैर योजनागत राजस्व व्यय को कम करने का उपयुक्त प्रयास नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि जैसा कि बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसा की गयी त्रिपक्षीय अनुबंध के अनुसार झा.रा.वि.बो. द्वारा समय पर सी.पी.एस.यू. को बकाये के भुगतान में विलम्ब स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराने में राज्य की असमर्थता, राजकोषीय दायित्व विधान का नियमन नहीं करने के कारण 1576.43 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों की हानि भी राज्य की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला। इसलिए, भा.स. द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी अनुदानों का उपयोग करने के लिए राज्य को स्थानीय निकायों का चुनाव कराने का प्रयत्न करना चाहिए।